



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

| | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. एफ-6-14-2012-अ-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-14-2012-अ-ग्यारह, दिनांक 28 जुलाई 2015 से जारी “मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015” में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:—

1. नियम 25.3 के पश्चात् निम्नानुसार नया नियम, 25.4 अंतःस्थापित किया जाता है:—

“25.4 निविदा में एल-1 का निर्धारण.—अखिल भारतीय स्तर की निविदा में प्रदेश के उद्यम द्वारा प्रस्तुत दरों में प्रदेश के वैट कर की राशि को छोड़कर तथा प्रदेश के बाहर की इकाईयों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर की राशि जोड़कर प्राप्त दरों के आधार पर एल-1 दरों का निर्धारण किया जावेगा.”

2. नियम 25.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

“25.2 निविदा में मूल्य कोटेशन:

- (क) आरक्षित वस्तुएं.—उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा आरक्षित वस्तुओं के दर संविदा (रेट कान्ट्रैक्ट) हेतु राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों, जिन्होंने L-1+15% के मूल्य बैंड के भीतर निविदा में दरें प्रस्तुत की हैं, वहां उनके मूल्य को L-1 मूल्य के स्तर पर लाकर उनकी क्षमता के दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत तक के आपूर्ति की अनुमति होगी.
- (ख) अनारक्षित वस्तुएं.—उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा अनारक्षित वस्तुओं हेतु राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के प्रथम तीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिन्होंने L-1+15% के मूल्य बैंड के भीतर निविदा में दरें प्रस्तुत की हैं, वहां उनके मूल्य को L-1 मूल्य के स्तर पर लाकर उनकी क्षमता के दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत तक के आपूर्ति की अनुमति होगी.”

3. नियम 2015 के परिशिष्ट-ब के अंत में निम्नानुसार कण्डिका 4 जोड़ी जाती है:—

“(4) मध्यप्रदेश राज्य पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर:—

- (i) समस्त प्रकार के सूती, ऊनी, रेशमी एवं मिश्रित मिल निर्मित धागे से निर्मित वस्त्र.
- (ii) पुरुष कर्मचारी की वर्दी-पेंट, शर्ट, टोपी का कपड़ा.
- (iii) महिला कर्मचारियों की वर्दी-साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट एवं सलवार सूट का कपड़ा.
- (iv) सिले सिलाये कोट.”

4. नियम 26.2 के पश्चात् निम्नानुसार नये नियम अंतःस्थापित किये जाते हैं:—

“26.3 प्रदेश के पॉवरलूम बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र जो परिशिष्ट “ब” के सरल क्रमांक 04 पर अंकित है तथा जो समय-समय पर पुनरीक्षण के अध्याधीन है, उन्हें बिना निविदा बुलाये सीधे म. प्र. पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ से क्रय किया जा सकेगा.

26.3.1 म. प्र. पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ द्वारा प्रदाय किये जाने वाले वस्त्रों की दरों का निर्धारण उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा.

26.3.2 प्रदाय किये जाने वाले वस्त्र के दर निर्धारण तथा प्रदाय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी किये जावेंगे.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

अधिसूचना क्रमांक-भ.स.क.म.म-2015-109(1).—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क. क. म.-1081, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 भाग-4(ग) तथा अधिसूचना क्र. भ.स.क.मं.-2014-6908 दिनांक 05 जून 2015 द्वारा “मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना 2013” पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका 1 “संक्षिप्त नाम विस्तार परिधि और लागू होना” में उप कंडिका 3 में उल्लेखित शब्दों “न्यूनतम चार वर्ष” के स्थान पर “न्यूनतम दो वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका 3 “योजना में लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता की शर्तें” में उल्लेखित शब्दों “लगातार चार वर्षों” के स्थान पर “लगातार दो वर्षों” प्रतिस्थापित किया जाता है.

अधिसूचना क्रमांक-भ.स.क.म.म-2015-109(2).—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-2348, दिनांक 18 जुलाई 2014 भाग-4(ग) तथा संशोधन अधिसूचना क्र. भ.स.क.मं.-2014-7173 दिनांक 12 जून 2015 द्वारा “मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना 2013” पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका 3 “योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निर्माण श्रमिकों की पात्रता की शर्तें” में शब्दों “न्यूनतम चार वर्ष” के स्थान पर “न्यूनतम दो वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है.

अधिसूचना क्रमांक-भ.स.क.म.म-2015-109(3).—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-1081, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 भाग-4(ग), संशोधन अधिसूचना क्र. भ.स.क.म-2014-2348 दिनांक 18 जुलाई 2014 तथा संशोधन अधिसूचना क्र. 7173 दिनांक 12 जून 2015 द्वारा “पेंशन सहायता योजना, 2013” पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका ग “योजना का विवरण एवं पात्रता” में शब्दों “न्यूनतम चार वर्ष” के स्थान पर “न्यूनतम दो वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका घ “पात्रता” में “न्यूनतम चार वर्ष” के स्थान पर “न्यूनतम दो वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 13.01.2016

क्रमांक-58-मप्रविनिआ-2016- यतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी-28, वर्ष 2005) की प्रथम नियंत्रण अवधि का समापन 31 मार्च, 2009 को हुआ, आयोग ने द्वितीय बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि सिद्धांत तथा क्रियाविधियों को वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक विनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में इन विनियमों में प्रथम पुनरीक्षण [आरजी-28(1), वर्ष 2009] दिनांक 30 अप्रैल, 2009 द्वारा दिनांक 8 मई, 2009, को अधिसूचित किया था। आयोग द्वारा चतुर्थ संशोधन दिनांक 3 फरवरी, 2012 द्वारा इस नियंत्रण अवधि को माह मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात्, आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु, आयोग द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को पुनरीक्षण {आरजी - 28 (II), वर्ष 2012} अधिसूचित किया गया। अतएव, आगामी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु, विद्युत पारेषण की निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु ये विनियम अधिसूचित किया जाना आवश्यक हो गया है;

अतएव, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2)(एच) तथा धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धाराओं 36 तथा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय - एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण तृतीय) विनियम, 2016 [आरजी-28(III), सन् 2016]" है।

- 1.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा ।
- 1.3 ये विनियम दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावशील होंगे जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्ण में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा समयावधि में विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 31.3.2019 तक प्रभावशील रहेंगे ।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

ये विनियम विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/खुली पहुंच उपभोक्ताओं की विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषण प्रणाली की क्षमता का आवंटन यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्य प्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अन्तर्गत किया गया हो, परन्तु ऐसी पारेषण प्रणाली पर लागू न होंगे जहां विद्युत्-दर अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की गई हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अपनाया गया हो ।

3. प्रचालन के मानदण्डों के परिसीमन का उच्चस्थ होना :

शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा हितग्राहियों को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से सहमत किये गये प्रोन्नत मानदण्ड विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे ।

4. परिभाषाएं :-

4.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
- (ख) "लेखांकन विवरण-पत्र" से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण-पत्र, अर्थात्:-

(एक)) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I अथवा इसके संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्ररूप के अनुसार तैयार किया गया तुलन-पत्र (बैलेंस शीट); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायक विवरण-पत्रों तथा जानकारी के, जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्देशित करे;

- (दो) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II अथवा संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची की अर्हताओं के परिपालन में लाभ तथा हानि का लेखा;
- (तीन) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़-प्रवाह विवरण -पत्र (कैश-फ्लो स्टेटमेन्ट) (एएस-3) के लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण-पत्र;
- (चार) अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षक/अंकेक्षकों का प्रतिवेदन;
- (पांच) संचालक का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां;
- (छह) केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) अथवा इसके संशोधन की सुसंबद्ध अनुसूची के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये गये लागत अभिलेख, यदि कोई हों।
- (ग) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से अभिप्रेत है वास्तविक रूप से किया गया पूंजीगत व्यय अथवा ऐसा व्यय जिसे परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो तथा आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त इन विनियमों के विनियम 18 के उपबन्धों के अनुसार स्वीकार किया गया हो।
- (घ) "अंकेक्षक" से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233(बी) तथा 619 जैसा कि इसे समय-समय पर संशोधित किया गया हो अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबन्धों अथवा अध्याय दस के उपबन्धों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;
- (ङ) "उपलब्धता" से, किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में किसी दी गई समयावधि हेतु, अभिप्रेत है उक्त अवधि में घंटों में समय जिस हेतु पारेषण प्रणाली उसके द्वारा घोषित वोल्टेज पर विद्युत् पारेषण उसके वितरण बिन्दु तक ले जाने में सक्षम है तथा इसे दिए गए समय हेतु कुल घंटों के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा;
- (च) "बैंक दर " से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई आधार ब्याज दर या तत्समय प्रवृत्त इसका कोई प्रतिस्थापन, 350 आधार बिन्दुओं को जोड़कर;
- (छ) "हितग्राही" से अभिप्रेत है दीर्घ-अवधि, मध्यम-अवधि अथवा लघु-अवधि के पारेषण उपभोक्ता जिनकी विद्युत्-दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अधीन किया गया हो;
- (ज) "पूंजीगत लागत" से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 17 द्वारा अवधारित किया गया हो;

(झ) 'कानून में परिवर्तन " से अभिप्रेत है निम्न में से किसी भी घटना का होना:

(एक) किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना; अथवा

(दो) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना, उसमें संशोधन करना, संपरिवर्तन करना, निरस्त करना या उसे फिर से अविनियमित करना; अथवा

(तीन) किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(चार) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति या स्वीकृति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(पांच) इन विनियमों के अधीन विनियमित विद्युत् पारेषण प्रणाली से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबंध/संधि का लागू होना या उसमें कोई संपरिवर्तन;

(ज) "आयोग " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग:

(ट) "संचार प्रणाली" में सम्मिलित है मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संचार प्रणाली, जिसके अन्तर्गत भार प्रेषण तथा संचार योजना, स्काडा, वृहद् क्षेत्र मापन, तन्तुक प्रकाशीय संचार प्रणाली, सुदूर सीमान्त इकाई, निजी स्वचालित शाखा केन्द्र, रेडियो संचार प्रणाली तथा सहायक विद्युत् प्रदाय प्रणाली आदि सम्मिलित हैं जिनका उपयोग विद्युत् के राज्यान्तरिक पारेषण प्रबंधन में किया जाता है;

(ठ) "प्रतिस्पर्धी बोली" से अभिप्रेत है उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत परियोजना विकासक द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से परियोजना हेतु उपकरण का विस्तार क्षेत्र तथा विशिष्टताओं, सेवाओं तथा वांछित कार्यों बाबत बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध के निबंधन तथा शर्तें तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है, सम्मिलित हैं तथा इस प्रक्रिया में स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोलियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को भी आमंत्रित किया जाता है;

- (ड) "पृथक्कृत तिथि" से वर्ष के 31 मार्च की तिथि अभिप्रेत है जो सम्पूर्ण परियोजना या उसके आंशिक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के दो वर्षों के उपरान्त समाप्त होती है तथा ऐसे प्रकरण में, जहां सम्पूर्ण परियोजना या उसके आंशिक भाग को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी वर्ष के अन्तिम त्रैमास में घोषित किया गया हो, वहां पृथक्कृत तिथि, वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के तीन वर्षों के बाद, समापन वर्ष की 31 मार्च होगी:

परन्तु यदि लिखित साक्ष्य के आधार पर परियोजना विकासक द्वारा यह सिद्ध कर दिया जाए कि पृथक्कृत तिथि के भीतर ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं उसके द्वारा पूंजीकरण किया जाना संभव न था तो आयोग द्वारा पृथक्कृत तिथि में विस्तार भी किया जा सकेगा;

- (ढ) "दिवस " से अभिप्रेत है, 24 घंटों की निरंतर अवधि जो 00:00 बजे से प्रारंभ होती है;
- (ण) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि" से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत है, 00:00 बजे से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित की गई तिथि जिसके अन्तर्गत पारेषण प्रणाली का कोई तत्व, सफल प्रभारण तथा परीक्षण परिचालन के उपरान्त तथा संचार संकेत के प्रेषण छोर से प्राप्ति छोर तक पहुंच उसके निर्धारित वोल्टेज स्तर पर नियमित कार्यरत सेवा: परन्तु -

(एक) जहां पारेषण तन्तुपथ अथवा विद्युत् उपकेन्द्र किसी विशिष्ट विद्युत् उत्पादक से विद्युत् के निष्क्रमण हेतु समर्पित हो, वहां विद्युत् उत्पादक कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् उत्पादक केन्द्र तथा विद्युत् पारेषण प्रणाली को यथासंभव व्यावहारिक रूप से साथ-साथ क्रियाशील करने के प्रयास करेंगे तथा इसे समुचित कार्यान्वयन अनुबंध के माध्यम से विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य इसका विनियमन किया जाना सुनिश्चित करेंगे:

(दो) ऐसी दशा में, प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली या फिर इसके किसी तत्व का नियमित सेवा में क्रियान्वन से प्रतिबाधित हो जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उसके सामग्री प्रदायक या उसके ठेकेदार उत्तरदायी न हों, परन्तु विलम्ब का कारण संबंधित विद्युत् उत्पादक केन्द्र के क्रियाशील होने में विलंब के कारण हो या फिर ऊपरी-प्रवाह या अधो-प्रवाह पारेषण प्रणाली क्रियाशील होने के कारण हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से समुचित आवेदन के माध्यम से ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के बारे में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुमोदन के बारे में सम्पर्क करेगा :

- (तीन) 'संचार प्रणाली' या उसके किसी तत्व के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 00:00 बजे से घोषित की गई वह तिथि जिसको कि, इसके बारे में किसी संचार प्रणाली या उसके किसी तत्व को सेवा में सन्निविष्ट किया जाए, जिसके अन्तर्गत स्थल स्वीकृति परीक्षण के क्रियान्वन पश्चात् ध्वनि तथा तत्संबंधी नियंत्रण हेतु आंकड़े के अन्तरण सम्मिलित हैं, जैसा कि इसे तत्संबंधी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जाए;
- (त) "अपूँजीकरण" से विद्युत्-दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु, इन विनियमों के अन्तर्गत अभिप्रेत है, परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में कमी किया जाना, जो परिसम्पत्तियों को हटाये जाने / विलोपन से तत्संबंधी है जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें स्वीकार किया;
- (थ) "अक्रियाशील करना" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्वयं या फिर परियोजना विकासक द्वारा या हितग्राहियों अथवा दोनों द्वारा इस आशय की सूचना प्रेषित करने के बाद कि परियोजना का संचालन प्रौद्योगिक अप्रचलन या अलाभकर परिचालन या फिर इन कारकों के संयोजन के कारण भी परिसम्पत्तियों के अनिष्पादन के कारण किया जाना संभव नहीं है, किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली को जिसके अंतर्गत संचार प्रणालीया उसकी कोई इकाई सम्मिलित है, सेवा से हटाया जाना;
- (द) "तत्व" से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में अभिप्रेत है कोई परिसम्पति जिसे इस परियोजना के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत पूँजी निवेश के अनुमोदन बाबत परिभाषित किया गया है;
- (ध) "किया गया व्यय" से अभिप्रेत है कोई निधि, भले ही वह पूँजी अथवा ऋण हो या फिर दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु, वास्तविक रूप से रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा दायित्व शामिल न होंगे, जिन हेतु कोई भुगतान जारी न की गई हो;
- (न) "विद्यमान परियोजना" से अभिप्रेत है परियोजना, जिसे दिनांक 1.4.2016 के पूर्व किसी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो;
- (प) "विस्तारित जीवन काल" से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के उपयोगी जीवनकाल के बाद का जीवनकाल जैसा कि आयोग द्वारा प्रकरण-दर-प्रकरण उसके गुण-दोष के आधार पर अवधारित किया जाए;
- (फ) 'विशेष आकस्मिक परिस्थिति' इन विनियमों के प्रयोजन के लिए किसी विशेष आकस्मिक

परिस्थिति से तात्पर्य किसी घटना या परिस्थिति या घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई शामिल हैं जो विद्युत् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने में बाधित करती हों तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न हों तथा इन्हें टाला भी नहीं जा सकता हो, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता संव्यवहारों को अपनाया गया हो:

(क) दैवी घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्भेद भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों; अथवा

(ख) युद्ध की कोई घटना, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्यवाही, नाका बन्दी, नौका-अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह या कोई सैनिक कार्यवाही; अथवा

(ग) व्यापक औद्योगिक हड़तालों तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में व्यापक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो;

(ब) "ग्रिड संहिता" से अभिप्रेत है समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (Indian Electricity Grid Code) Regulation, 2010 या उसका पश्चात्वर्ती कोई अधिनियमन;

(भ) "कार्यान्वयन अनुबन्ध" से अभिप्रेत है कोई अनुबन्ध, संविदा, परस्पर समझौते के ज्ञापन-पत्र, या फिर कोई ऐसा प्रलेख, जिसे किसी परियोजना के निष्पादन हेतु समन्वित रीति में (एक) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा विद्युत् उत्पादक केन्द्र अथवा (दो) पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली के विकासक के मध्य निष्पादित किया जाए;

(म) "पूंजी निवेश अनुमोदन" से अभिप्रेत है विद्युत् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संचालक मण्डल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का सम्प्रेषण जिसमें परियोजना की निधीयन व्यवस्था तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय-सीमा भी शामिल हैं:

परन्तु यह कि पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि की गणना संचालक मण्डल/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संकल्प/कार्यवाही विवरण का अनुमोदन जारी

होने की तिथि से की जाएगी;

- (य) "किलोवाट ऑवर" से अभिप्रेत है विद्युत् ऊर्जा की इकाई (यूनिट) से है जिसका मापन एक घंटे की अवधि के दौरान विद्युत् के एक किलोवाट अथवा एक हजार वाट मापन द्वारा उत्पादन या खपत के रूप में किया जाता है;
- (यक) "दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ अवधि पारेषण सेवा अनुबन्ध है, जिनमें राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पारेषण प्रभारों के भुगतान द्वारा माने गये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी शामिल हैं तथा इस पारिभाषिक शब्द का उपयोग नामोद्दिष्ट राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली क्रेताओं के लिए भी अदल-बदल कर किया जा सकता है;
- (यख) "मध्यम-अवधि पारेषण क्रेता" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में, तीन माह से अधिक तथा 3 वर्ष तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो;
- (यग) "नवीन परियोजना" से अभिप्रेत ऐसी परियोजना जिसके द्वारा दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त की जाए या जिसका प्राप्त किया जाना प्रत्याशित हो;
- (यघ) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;
- (यङ) "प्रचालन तथा संधारण व्यय" से अभिप्रेत है परियोजना अथवा उसके किसी भाग के प्रचालन तथा संधारण पर किया गया कोई व्यय तथा इसमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति, मरम्मत, संधारण कल-पुर्जो, उपभोज्य सामग्रियों, बीमा तथा उपरिव्यय पर किये गये व्यय परन्तु इनमें ईंधन व्यय तथा जल प्रभार शामिल नहीं होंगे;
- (यच) "मूल परियोजना लागत" से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो;
- (यछ) "परियोजना" से अभिप्रेत है कोई पारेषण प्रणाली जिसमें संचार प्रणाली भी शामिल है;
- (यज) "युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण" से अभिप्रेत है किये गये पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यय, वित्तीय प्रबंध योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत तथा समय आधिक्य तथा ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत उपयुक्त माना जाए, तर्कसंगत होने संबंधी सूक्ष्म परीक्षण । युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण करते समय आयोग द्वारा इस तथ्य की भी जांच-पड़ताल की जाएगी कि क्या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने मूल्यांकनों तथा निर्णयों में

सावधानी बरती गई है या फिर उसके द्वारा परियोजना के निष्पादन में भी सावधानी तथा सतर्कता बरती गई है;

- (यझ) “नियमित सेवा” से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व को, सफल परीक्षण परिचालन पश्चात् तथाइस आशय का एक प्रमाण-पत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किए जाने के पश्चात् उपयोग हेतु संचालित करना;
- (यञ) “निर्धारित वोल्टेज” से अभिप्रेत है विनिर्माता द्वारा रूपांकित वोल्टेज जिस पर पारेषण प्रणाली प्रचालन हेतु रूपांकित की गई है तथा इनमें सम्मिलित है ऐसी निम्न वोल्टेज जिस पर पारेषण तन्तुपथ (लाईन) को प्रभारित किया गया हो, या फिर जिसे तत्समय दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं से परामर्श द्वारा प्रभारित किया जा रहा हो;
- (यट) “अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि” से अभिप्रेत है किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि/तिथियां, जैसा कि इसके बारे में पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाया गया हो या फिर विद्युत् पारेषण सेवा अनुबंध में सहमति व्यक्त की गई हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हों;
- (यठ) “सचिव” से अभिप्रेत है आयोग का सचिव;
- (यड) “लघु-अवधि पारेषण क्रेता” से किसी पारेषण प्रणाली के प्रयोग के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन माह तक की लघु-अवधि हेतु धारणाधिकार रखता हो;
- (यढ) “प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि” से अभिप्रेत है परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभ हेतु पूंजी निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि है, तथा जहां कोई भी तिथि दर्शाई न गई हो वहां पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा;
- (यण) “पारेषण सेवा अनुबन्ध” से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घ-अवधि/मध्यम-अवधि पारेषण क्रेता/क्रेताओं के मध्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु निष्पादित अनुबन्ध;
- (यत) “विद्युत्-दर या टैरिफ” से अभिप्रेत है विद्युत् पारेषण हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ-साथ उसके निबंधन एवं शर्तें;
- (यथ) “विद्युत दर (टैरिफ)अवधि” से अभिप्रेत है इन विनियमों के अंतर्गत वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा विद्युत्-दर (टैरिफ) का अवधारण किया गया है;
- (यद) “पारेषण तन्तुपथ या लाईन” का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (72) में उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है;

- (यध) "पारेषण प्रणाली" से अभिप्रेत है संबद्ध उप-केन्द्र, पारेषण तन्तुपथों तथा उपकेन्द्रों से संबद्ध उपकरण सहित या उसके बिना तन्तुपथ या तन्तुपथों का समूह;
- (यन) "पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे पारेषण तन्तुपथों को स्थापित करने अथवा उसका परिचालन करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;
- (यप) "पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपलब्धता कारक" से अभिप्रेत है राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा यथा प्रमाणित;

(यफ) "निष्पादन परीक्षण तथा परिचालन परीक्षण" से किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के संबंध में अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व को विद्युत् के चौबीस घंटे निरन्तर प्रवाह हेतु सफलतापूर्वक प्रभारित किया जाना, तथा सेवा के अन्तर्गत संचार संकेत के प्रेषण छोर से प्राप्ति छोर तक संप्रेषण मय सेवा स्थल पर आवश्यक मापयंत्र प्रणाली, सुदूर-मापयंत्र व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रणाली के बारे में भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इस आशय बाबत जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना;

(यब) "उपयोगी जीवनकाल" से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से निम्नानुसार अभिप्रेत होगा, अर्थात् :

(एक) प्रत्यावर्ती विद्युत् धारा तथा दिष्ट विद्युत् धारा

उपकेन्द्र

25 वर्ष

(दो) गैसरोधी उपकेन्द्र

25 वर्ष

(तीन) पारेषण तन्तुपथ {उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा

तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा

35 वर्ष

को शामिल करते हुए;

(चार) संचार प्रणाली

15 वर्ष

परन्तु यह कि प्रत्यावर्ती विद्युत् धारा तथा दिष्ट विद्युत् धारा उपकेन्द्रों तथा गैस रोधी उपकेन्द्रों के लिए, जिनके लिए निविदा संबंधी सूचना दिनांक 1.4.2016 को या तत्पश्चात् जारी की जाएगी वहां इनका जीवनकाल 35 वर्ष माना जाएगा;

परन्तु यह और कि परियोजनाओं के उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त उसमें किसी वृद्धि के बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा;

(यभ) "वर्ष " से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष ।

4.2 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, परन्तु अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किए गए हो,

वे ही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में उउनके लिए दिए गए हैं

5. विद्युत्-दर का अवधारण :

5.1 आयोग, निम्नलिखित मामलों में अधिनियम की धारा 86 तथा धारा 36 के साथ पठित धारा 62 के अधीन, विद्युत्-दर (टैरिफ) तथा प्रभारों का निर्धारण करेगा, जिसमें उसके निधन व शर्तें सम्मिलित होंगी, अर्थात्:-

(एक) राज्यान्तरिक विद्युत् पारेषण संबंधी;

(दो) अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोगार्थ दरें एवं प्रभार, जिन पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परस्पर समझौता नहीं किया जा सकता हो ।

5.2 अधिनियम के भाग दस में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत् के किसी अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण जिसमें दो राज्यों के क्षेत्र सन्निहित हों, ऐसे पारेषण के इच्छुक पक्षकारों द्वारा आयोग को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, आयोग द्वारा विद्युत्-दर (टैरिफ) का अवधारण ऐसे प्रकरणों में किया जा सकेगा जहां ऐसी प्रणाली के उपयोग का उद्देश्य पूर्णरूपेण अनुज्ञप्तिधारी के हित में हो तथा यह भी कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता हो ।

6. विद्युत्-दर अवधारण के सिद्धान्त :

6.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण के निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धान्तों के मार्गदर्शन का अनुसरण किया गया है ।

6.2 इन विनियमों का आशय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुस्थिर वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उनके लेखांकन विवरण पत्र, कंपनी कानून की अर्हता के अनुसार तैयार करने होंगे जो उसे आयोग को विनियम 9.1 में दिये गये विवरणानुसार नियमित रूप से प्रस्तुत करने होंगे । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञात किया गया प्रोत्साहन, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये परिचालन मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों से तत्संबंधी निष्पादन पर निर्भर करेगा । परिसम्पत्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय को ही विचार में लिया जाएगा ।

6.3 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को

अपनाया जाना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यकुशल कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना तथा हितग्राहियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है । टैरिफ अवधि हेतु, प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादनों के आधार पर विनिर्दिष्ट किये गये हैं । स्वीकार्य विद्युत्-दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग पुरस्कार के रूप में स्वयं के पास रखने की अनुमति प्रदान की गई है । इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

6.4 केवल ऐसे पूंजी-निवेश तथा पूंजीगत व्यय, जो इस संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे, को ही विद्युत्-दर (टैरिफ) के माध्यम से वसूली किये जाने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे। इससे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त पूंजी निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

7. विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया :

7.1 विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन-पत्र इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए ।

7.2 आयोग को सदैव या तो स्वप्रेरणा पर अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर विद्युत्-दर (टैरिफ) तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा उसके द्वारा ऐसा अवधारण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो कि विनिर्दिष्ट की जाएगी;

परन्तु ऐसे विद्युत्-दर (टैरिफ) के साथ उससे संबंधित निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को समय समय पर यथासंशोधित कार्य संचालन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।

7.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्ररूपों में, जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

7.4 आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी

द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

7.5 समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी आवेदन को संक्षिप्त रूप में एवं ऐसी रीति में, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को वह सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए [कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 समय-समय पर यथासंशोधित]। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से सात कार्यकारी दिवस के अंदर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने होंगे।

7.6 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपियां) के साथ लेखांकन विवरण-पत्र, प्रचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि वे आयोग द्वारा विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा।

7.7 आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के सहित अथवा उनकी प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपियों के साथ उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकारयुक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय उसके, जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाए।

7.8 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों की अर्हताओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से अपर्याप्त हो, तो आयोग द्वारा जैसा कि आयोग के पदाधिकारियों द्वारा पाई गई कमियों में सुधार किये जाने बाबत निर्दिष्ट किया गया हो, आवेदन को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को एक माह के भीतर

पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिया जाएगा ।

- 7.9 यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी विनियमों के अनुसार हो तथा दावों के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु पर्याप्त हो तो आयोग प्रतिवादियों से याचिका दायर करने की तिथि से एक माह (अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई समयावधि) के भीतर तथा अन्य कोई व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संघों को शामिल करते हुए, प्राप्त किए गए सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, पर विचार करेगा । आयोग याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों तथा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गई हो, की सुनवाई के बाद विद्युत्-दर (टैरिफ) आदेश जारी करेगा ।

8. विद्युत् दर (टैरिफ) अवधारण की विधि तथा उसके सत्यापन :

- 8.1 आयोग, समय-समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधियों का निर्धारण करेगा । विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान ही लागू होंगे । इन विनियमों के अन्तर्गत, विद्युत् दर (टैरिफ) अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त आगामी विद्युत्-दर (टैरिफ) दिनांक एक अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि हेतु वैध रहेंगे ।
- 8.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु विद्युत्-दर (टैरिफ) का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली हेतु किया जाएगा ।
- 8.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में एक याचिका दायर की जाएगी । आयोग द्वारा विद्युत्-दर (टैरिफ) के सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु यह अनुरोध किया जा रहा है, के दौरान पूंजीगत व्यय तथा वास्तविक रूप से उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर की जाएगी । तथापि, इस प्रकार के सत्यापन में किसी प्रकार के असामान्य तथा अनियंत्रणीय अन्तर पर आयोग द्वारा अपने स्वविवेक अनुसार विचार किया जा सकेगा ।
- 8.4 आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्-दर (टैरिफ) का सत्यापन निम्न अनियन्त्रणीय मानदण्डों के निष्पादन के आधार पर कराया जाएगा :
- (एक) विशेष आकस्मिक परिस्थितियां
- (दो) कानून में परिवर्तन

परन्तु अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक विद्युत् उत्पादक स्टेशन अथवा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के अक्रियाशील होने के कारण समय में वृद्धि अथवा मूल्य में वृद्धि के संबंध में किसी भी अतिरिक्त प्रभाव को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी वसूली विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य क्रियान्वयन अनुबंध के

माध्यम से की जानी चाहिए :

परन्तु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली को विद्युत् उत्पादक केन्द्र की अनुसूचित प्रचालन तिथि को क्रियाशील नहीं किया जाता हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् उत्पादक केन्द्र पर स्वयं की व्यवस्था के माध्यम से तथा लागत पर निष्क्रमण की तब तक व्यवस्था करेगा जब तक कि सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को क्रियाशील न कर दिया जाए।

- 8.5 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रणीय मानदण्डों के कारण होने वाले किसी वित्तीय लाभ का बंटवारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों के मध्य क्रमशः 2:1 के अनुपात में मासिक आधार पर वार्षिक मिलान के समय किया जाएगा ।
- 8.6 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनियंत्रणीय कारकों के कारण वित्तीय लाभों तथा हानियों को दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं को अन्तरित किया जाएगा ।
- 8.7 यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्-दर (टैरिफ) सत्यापन उपरान्त अवधारित की गई विद्युत्-दर से अधिक हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने दीर्घ-अवधि क्रेताओं को इस प्रकार वसूल की गई अधिक राशि का प्रत्यर्पण इन विनियमों के विनियम 8.9 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार करेगा ।
- 8.8 यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्-दर (टैरिफ) सत्यापन पश्चात् अवधारित विद्युत्-दर से कम हो, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं से इन विनियमों के विनियम 8.9 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आयोग द्वारा सत्यापन याचिका को दायर किए जाने संबंधी निर्धारित की गई समय-सीमाओं का परिपालन करते हुए कम वसूल की गई राशि की वसूली करेगा । ऐसे प्रकरण में जहां यह पाया जाए कि सत्यापन याचिका दायर किए जाने में विलंब के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है, वहां कम वसूल की गई राशि पर ब्याज देय नहीं होगा ।
- 8.9 विद्युत् उत्पादक कम्पनी द्वारा कम वसूल की गई राशि तथा अधिक वसूल की गई राशि को मय साधारण ब्याज के तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को लागू बैंक दर के बराबर राशि की वसूली या प्रत्यर्पण को आयोग द्वारा जारी किये गये विद्युत्-दर (टैरिफ) आदेश की तिथि से छः माह के भीतर किया जाएगा ।
- 8.10 बहुवर्षीय विद्युत्-दर (टैरिफ) याचिका की प्रस्तुति हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतिलिपि में मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित विनिर्दिष्ट प्ररूपों में इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से साठ दिवस के भीतर की जाएगी ।
- 8.11 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किये अनुसार हार्ड तथा सॉफ्ट प्रति में

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित इन्हीं प्ररूपों में प्रतिवर्ष दिनांक 15 नवम्बर तक सत्यापन अभ्यास के क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

9. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि को तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण :

9.1 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लेखों के वार्षिक विवरण-पत्र तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने होंगे । वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा अनुज्ञप्ति शर्तों की सूचना सम्बन्धी अर्हताओं का भी परिपालन करना होगा ।

9.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग स्व प्रेरणा द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा ।

10. विद्युत्-दर अवधारण में अंतराल :

10.1 किसी भी वित्तीय वर्ष में, विद्युत्-दर (टैरिफ) अथवा विद्युत्-दर का कोई भी अंश सामान्यतः एक वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जाएगा । आयोग, अपना समाधान हो जाने पर इस हेतु लिखित में कारण अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही, विद्युत्-दर में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकेगा ।

10.2 इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में वसूल किए जाने के लिए अनुज्ञात व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित विद्युत्-दर (टैरिफ) में समायोजन के अध्यधीन होगी, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है ।

11. सुनवाई :

विद्युत्-दर (टैरिफ) आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया, समय-समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी ।

12. आयोग के आदेश :

- 12.1 किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों का मूल्यांकन कर सके ।
- 12.2 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, के उपबंधों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा ।

13. अनुमोदित विद्युत्-दर (टैरिफ) से निम्न दर प्रभारित करना :

किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से निम्न विद्युत्-दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी । ऐसी दशा में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उन हितग्राहियों को टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, जिसकी दर 01.04.2016 को या फिर तत्संबंधी वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में बैंक दर होगी, मय आयोग द्वारा अधिरोपित किसी अन्य शास्ति के प्रत्यर्पण की जाएगी ।

14. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक समीक्षा :

- 14.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी नियतकालिक विवरणिकाएं जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं जिनमें परिचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये गये हों, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में अनुश्रवण (मानिट्रिंग) हेतु प्रस्तुत करेगा ।
- 14.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण-पत्र तथा लेखा के साथ-साथ अंकक्षित लेखों के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय – दो

विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारणा के सिद्धान्त तथा पद्धति

15. विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी याचिका :

15.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय – 1 में उपबंधों के परिपालन में ऐसे प्ररूपों में संलग्न कर, जैसा कि इन्हें मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, समय-समय पर यथासंशोधित में विनिर्दिष्ट किया गया हो, के अनुसार तथा आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण बावत एक याचिका दायर करेगा । ये सिद्धान्त इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से 31 मार्च, 2019 की अवधि तक कार्यान्वित किये जाएंगे ।

15.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा दीर्घ-अवधि क्रेताओं को दिनांक 1.4.2016 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से प्रावधिक तौर पर दिनांक 31.3.2016 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत्-दर (टैरिफ) का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु जहां प्रावधिक रूप से बिल की गई विद्युत्-दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत्-दर से अधिक अथवा कम हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा पारेषण क्रेताओं से, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में अथवा उक्त वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य बैंक दर पर साधारण ब्याज सहित छः माह के भीतर करेगा ।

16. केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग के सिद्धान्त :

आयोग ने इन विनियमों की संरचना में केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा उनकी उसकी अधिसूचना दिनांक 21.02.2014 द्वारा जारी टैरिफ विनियम संबंधी निबंधन एवं शर्तें, वर्ष 2014 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों तथा पद्धतियों संबंधी आदेश, जो दिनांक 01.04.2014, से प्रभावशील है, से मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

17. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत संरचना :

17.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

(क) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्तीय प्रबन्धन प्रभार, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ऋण पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ अथवा हानि, जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा -

(एक) लगाई गई 70% निधि के बराबर, ऐसे मामलों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गई निधि से 30% अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा, अथवा

(दो) लगाई गई निधि के 30% से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त इसे स्वीकार किया गया हो, विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण का आधार बनेगा ।

(ख) निम्नलिखित उच्चतम मानदण्डों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रारंभिक कल-पुर्जों की पूंजीकृत राशि :-

(एक) पारेषण तन्तुपथ - 1.00 प्रतिशत

(दो) पारेषण उपकेन्द्र (हरित क्षेत्र) - 4.00 प्रतिशत

(तीन) पारेषण उपकेन्द्र (भूरा क्षेत्र) - 6.00 प्रतिशत

(चार) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट विद्युत् धारा केन्द्र (स्टेशन-4.00 %

(पांच) गैस-रोधी उपकेन्द्र - 5.00 प्रतिशत

(छह) संचार प्रणाल - 3.5 प्रतिशत

परन्तु :

(एक) जहां आयोग द्वारा प्रारंभिक कलपुर्जों के लिए मानदण्डीय मापदण्डों का प्रकाशन पूंजीगत लागत हेतु मानदण्डीय मापदण्डों के भाग के रूप में किया गया हो, वहां ऐसे मापदण्ड उपरोक्त विनिर्दिष्ट किए गए मानदण्डों के अपवर्जन के लिए लागू होंगे :

(दो) जहां कहीं विद्युत् उत्पादक केन्द्र द्वारा कोई पारेषण उपकरण विद्युत् उत्पादन परियोजना के रूप में धारित किया गया हो, वहां ऐसे उपकरणों बाबत प्रारंभिक कलपुर्जों के लिए उच्चतम मानदण्ड इन विनियमों के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिए निर्दिष्ट उच्चतम मानदण्डों के अनुसार होंगे ।

(ग) विनियम 18 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय :

परन्तु वपरिसम्पत्तियां को जा परियोजना का भाग हों, परन्तु उपयोग में न हों,^५
पूंजीगत लागत से पृथक् रखा जाएगा ।

17.2 आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी :

परन्तु आयोग द्वारा किसी वैयक्तिक पारेषण परियोजना के प्रकरण में, पूंजीगत लागत की युक्तियुक्त परीक्षण केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों पर आधारित की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग न किया जाता हो, युक्तियुक्त परीक्षण में पूंजीगत व्यय, वित्त-प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लागत आधिक्य तथा अन्य ऐसे विषय शामिल किये जाएंगे जैसे कि ये आयोग द्वारा विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु समुचित समझे जाएं :

परन्तु यह और भी कि जहां पारेषण सेवा अनुबंध में वास्तविक व्यय की किसी उच्चतम सीमा का प्रावधान हो, वहां आयोग द्वारा विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण बाबत अनुज्ञेय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, आयोग द्वारा दिनांक 1.4.2016 के पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत तथा टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित की गयी हो, वहां अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगा ।

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रकरणों में जहां मानदण्डीय मापदण्ड निर्दिष्ट किये गये हों, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी मानदण्डीय मापदण्डों से पूंजीगत लागत में वृद्धि के संबंध में ऐसे मानदण्डीय मापदण्ड से अधिक लागत को अनुज्ञेय किये जाने बाबत, आयोग की संतुष्टि हेतु कारण प्रस्तुत करेगा ।

17.3 आयोग द्वारा लागत अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज राशि, प्रौद्योगिकी के दक्ष प्रयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में इनके युक्तियुक्त होने के संबंध में किया जाएगा। आयोग इस संबंध में, जैसा कि वह

आवश्यक समझे, विशेषज्ञ परामर्श भी प्राप्त कर सकेगा ।

- 17.4 पूंजी एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को टैरिफ अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा, यदि बशर्ते ऐसी कार्यवाही विद्युत्-दर (टैरिफ) को नकारात्मक तौर पर प्रभावित न करे । इस प्रकार की गई किसी पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ-अवधि राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं को ऐसे अनुपात में, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अन्तरित किया जाएगा ।

17.5 निर्माण कार्य के दौरान ब्याज :

- (एक) निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज की गणना ऋण से तत्संबंधी ऋण निधि की संयोजन तिथि से तथा अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी ।
- (दो) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी को इस प्रकार के विलम्ब हेतु विस्तृत औचित्य मय सहायक अभिलेखों के निधि की चरणबद्धता को शामिल करते हुए प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलम्ब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 8.4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो, तो निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि वास्तविक ब्याज पर केवल निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज को अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से परे विलम्ब उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किया जा सकेगा जैसा कि यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर पाया जाए, जिसके बारे में निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त जांच-पड़ताल पूर्व में की गई हो।

17.6 निर्माण कार्य के दौरान आनुषंगिक व्यय :

- (एक) निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय की गणना शून्य तिथि तथा अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक पूर्व-परिचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी :

परन्तु निर्माणाधीन अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि तक की अवधि तक निक्षेप राशियों को अथवा अग्रिम राशियों को या फिर अन्य प्राप्तियों

के कारण अर्जित राजस्व के बारे में निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय में कमी किये जाने हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

- (दो) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने में निर्माणाधीन अवधि के दौरान विलंब के कारण आनुषंगिक व्ययों की अतिरिक्त लागतों की दशा में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी विलम्ब अवधि के दौरान तथा विलंब से तत्संबंधी परिनिर्धारित क्षति जिनकी वसूली की गई हो या फिर जिनकी वसूली की जाना अपेक्षित हो, विस्तृत औचित्य दर्शाते हुए मय सहायक, अभिलेखों के, आनुषंगिक व्यय के विवरणों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यदि विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 8.4 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो, तो निर्माणाधीन अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि जहां विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित किसी अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक पर आरोप्य हो वहां ऐसे अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक से परिनिर्धारित क्षति बाबत की गई वसूली को पूंजीगत लागत की गणना हेतु लेखबद्ध किया जाएगा।

- (तीन) ऐसी दशा में, जहां अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के परे समयाधिक्य यथोचित रूप से युक्तियुक्त होने के बाद अनुज्ञेय न हो वहां लागत में परिवर्तन के कारण समयाधिक्य से तत्संबंधी समय वृद्धि के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदायक या ठेकेदार के साथ सम्पन्न अनुबंधों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान के होते हुए भी पूंजीकरण से अपवर्तित किया जा सकेगा।

18. अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण :

- 18.1 कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, नवीन परियोजनाओं या फिर किसी विद्यमान परियोजना के बारे में निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त पृथक्कृत तिथि तक किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोग द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत अपने विवेकानुसार युक्तियुक्त परीक्षण के अध्याधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकेगा:

- (क) अनुमोचित दायित्व जिनका किसी भविष्यगामी तिथि को भुगतान किया जाना मान्य किया गया हो;

- (ख) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो;
 - (ग) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के किसी आदेश अथवा डिक्री के परिपालन में दायित्व;
 - (घ) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी विद्यमान कानून के परिपालन में; तथा
 - (ङ) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत विनियम 17.1(ख) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जों की अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु;
- परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत परिसम्पत्तिवार कार्यों/कार्यवार सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण मय, व्यय के, प्राक्कलनों के अनुन्मोचित दायित्व तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

18.2 पृथक्कृत तिथि के उपरान्त किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय, आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के अध्यधीन रहते हुए, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

- (क) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के किसी अथवा डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु;
- (ख) कानून में किसी परिवर्तन के कारण अथवा विद्यमान कानून के परिपालन में;
- (ग) रिले, नियंत्रण तथा उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत् तन्तुपथ संवाहक संसूचना डीसी बैटरियां, अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण, प्रतिस्थापन दोष में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरण को बदला जाना, टावर सुदृढीकरण, संचार उपकरण, चीनी-मिट्टी रोधियों को पॉलीमर रोधियों से बदला जाना, आकस्मिक पुर्नस्थापना प्रणाली, रोधियों की सफाई हेतु अधोसंरचना, क्षतिग्रस्त उपकरणों की पुर्नस्थापना जो बीमा के अन्तर्गत न आता हो, अतिरिक्त व्यय जो पारेषण प्रणाली के सफल तथा दक्ष प्रचालन हेतु, किया जाना आवश्यक हो गया हो।
- (घ) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा तथा बचाव की आवश्यकता हेतु किए जाने संबंधी व्यय जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकरणों के समुचित शासकीय अभिकरणों द्वारा इसकी आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया हो या निर्देशित किया गया हो;
- (ङ) किसी पृथक्कृत तिथि से पूर्व निष्पादित कार्यों के बारे में दायित्व ऐसे किन्हीं अनुन्मोचित दायित्वों के विवरण के युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त संवेष्टन (पैकेज) की कुल अनुमानित लागत, किसी भुगतान को रोकने के बारे में कारण दर्शाना तथा ऐसे भुगतानों को मुक्त

करना, आदि ।

- (च) पृथक्कृत तिथि के उपरान्त, आयोग द्वारा कार्यों के बारे में कोई दायित्व जो वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन की सीमा के अन्तर्गत होगा;

परन्तु किसी भी ऐसे व्यय का, जिसका दावा नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा प्रचालन एवं संधारण व्ययों तथा क्षतिपूर्ति रियायत के अन्तर्गत किया गया हो, इस विनियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकेगा ।

- 18.3 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के अपूँजीकरण के मामले में, अपूँजीकरण की तिथि की स्थिति में, ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्ति तथा तत्संबंधी ऋण के साथ-साथ पूँजी को भी क्रमशः बकाया ऋण राशि तथा पूँजी की राशि में से उस वर्ष के दौरान जब ऐसा अपूँजीकरण घटित हो जिसके अन्तर्गत यथोचित तौर पर उस वर्ष को सम्यक रूप से विचार में लेते हुए जब इसका पूँजीकरण किया गया हो, दृष्टाया जाएगा ।

19. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण :

- 19.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय, व्यय का प्रक्रम, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी विनिमय घटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों का सहमति-पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत माना जाए, संलग्न किया जाएगा ।

- 19.2 जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हो, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत-प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत-लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा सुसंगत समझे जाएंगे, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा ।

- 19.3 किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवन काल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों के युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् तथा प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन पश्चात् तथा मूल परियोजना लागत से संचित अ वमूल्यन परन्तु अवमूल्यन के

विरुद्ध अग्रिम को सम्मिलित करते हुए, को घटाकर स्वीकार किया गया हो, विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगा ।

20. ऋण-पूँजी अनुपात :

20.1 ऐसी किसी परियोजना के संबंध में जिसे 1.4.2016 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, वहां ऋण-पूँजी अनुपात वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में 70:30 माना जाएगा । यदि वास्तविक रूप से निवेश की पूँजी, पूँजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो, वहां 30 प्रतिशत से अधिक पूँजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :
परन्तु :

(एक) जहां निवेश की गई पूँजी पूँजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वास्तविक पूँजी को ही मान्य किया जाएगा :

(दो) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई पूँजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में नामोद्दिष्ट किया जाएगा :

(तीन) ऋण : पूँजी अनुपात के प्रयोजन हेतु परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को पूँजी संरचना का भाग नहीं माना जाएगा ।

व्याख्या : अधिमूल्य की बाबत, यदि कोई हो, जिसकी उगाही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के निधीयन हेतु की गयी हो, शेयर पूँजी जारी करते समय तथा आन्तरिक संसाधनों के निवेश हेतु जिसका सृजन मुक्त सुरक्षित निधि में से किया गया हो, को पूँजी पर प्रतिलाभ उसी दशा में की गई गणना हेतु प्राप्त की गई पूँजी के रूप माना जाएगा यदि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों को विद्युत् पारेषण प्रणाली, के पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया है ।

20.2 ऐसी दशा में, जहां पारेषण प्रणाली को जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु अनज्ञात किया गया ऋण-पूँजी (इक्विटी) अनुपात पर विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विचार किया जाएगा ।

20.3 ऐसी दशा में, जहां पारेषण प्रणाली को जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, दिनांक 1.4.2016 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो परन्तु जहां आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण के लिए ऋण : पूँजी के अनुपात का निर्धारण न किया गया हो, वहां आयोग द्वारा ऋण : पूँजी अनुपात का

अनुमोदन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई वास्तविक जानकारी के आधार पर किया जाएगा ।

20.4 ऐसा कोई व्यय जो दिनांक 1.4.2016 को अथवा उसके उपरांत किया गया अथवा किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो , जैसा कि आयोग द्वारा इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो एवं जीवनकाल की वृद्धि हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को विनियम 20.1 में विनिर्दिष्ट रीति में सेवाकृत किया गया जाएगा ।

21. पारेषण विद्युत्-दर :

राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत विद्युत् के पारेषण में वार्षिक स्थाई लागत की वसूली हेतु पारेषण प्रभार में विनियम 22 में निर्दिष्टानुसार तत्व सम्मिलित होंगे ।

22. वार्षिक स्थाई लागत

किसी पारेषण प्रणाली की वार्षिक स्थाई लागत में जिसमें उसकी संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, निम्न घटक सम्मिलित होंगे :

- (क) पूंजी पर प्रतिलाभ;
- (ख) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार;
- (ग) अवमूल्यन;
- (घ) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार;
- (ङ.) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज; तथा
- (च) प्रचालन तथा संधारण व्यय ।

23. पूंजी पर प्रतिलाभ :

23.1 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में विनियम 20 में अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी ।

23.2 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व-टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार सकलबद्ध किया जाएगा: परन्तु :

- (एक) ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिन्हें 1 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके उपरान्त क्रियाशील किया जाए, उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ

अनुज्ञात किया जाएगा यदि ये परियोजनाएं **परिशिष्ट-1** में दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाएं:

- (दो) 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती हैं, भले ही इसके कारण जो भी हों:
- (तीन) 0.50 प्रतिशत की दर से पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि पारेषण परियोजना का कोई तत्व निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उक्त विशिष्ट तत्व के क्रियाशील किये जाने पर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड के अन्तर्गत प्रणाली का परिचालन लाभन्वित होगा:
- (चार) किसी नवीन परियोजना हेतु प्रतिलाभ की दर को एक प्रतिशत की दर से ऐसी अवधि हेतु जैसा कि इसके बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए कम कर दिया जाएगा यदि पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी आंकड़े, भार प्रेषण केन्द्र अथवा सुरक्षा प्रणाली तक सुदूर मापयंत्र व्यवस्था, को क्रियाशील किये बगैर, घोषित किया जाना पाया गया हो:
- (पांच) जब कभी भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर पारेषण प्रणाली में उपरोक्त अर्हताओं का अभाव पाया जाता हो तो पूंजी पर प्रतिलाभ को तब तक के लिए, जब तक कि यह कमी की दरें, 1% की दर से कम कर दिया जाएगा जब तक यह कमी जारी रहे।

23.3 पूंजी पर प्रतिलाभ की आधार दर को, जैसा कि आयोग द्वारा इसे विनियम 23.2 द्वारा अनुज्ञात किया गया हो तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर के साथ सकलीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु संबंधित पारेषण अनुज्ञापतिधारी कम्पनी द्वारा सुसंगत वित्त अधिनियमों के प्रावधानों से संरेखित प्रभावी कर दर पर संबंधित वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से किए गए कर भुगतान के आधार पर माना जाएगा। अन्य आय प्रवाह पर वास्तविक आयकर, विलम्बित कर (अर्थात्, गैर-पारेषण उत्पादन व्यापार से प्राप्त आय) को शामिल करते हुए, को "प्रभावी कर दर" की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

23.4 पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

(क) पूंजी पर पूर्व-कर प्रतिलाभ की दर = $\frac{\text{आधार दर}}{\text{पूर्व-कर प्रतिलाभ की दर}}$

जहां 't' इस विनियम के उपखण्ड 23.3 के अनुसार प्रभावी कर दर है तथा इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित लाभ तथा भुगतान की जाने वाली कर राशि के आधार पर कम्पनी को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु लागू सुसंगत वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों से संरेखित आनुपातिक आधार पर, गैर-पारेषण व्यापार से आय को असम्मिलित करते हुए तथा उस पर तत्संबंधी कर के आधार पर की जाएगी। ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान कर रहा हो, वहां "t" को न्यूनतम वैकल्पिक कर, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए माना जाएगा।

उदाहरण :

- (एक) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान 20.96 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो, वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = $15.50 / (1 - 0.02096) = 19.610$ प्रतिशत होगी।
- (दो) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, जो सामान्य निकाय कर का भुगतान, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो वहां :
- (क) यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विद्युत् पारेषण व्यापार से अनुमानित सकल आय रु. 1000 करोड़ हो,
- (ख) तथा उपरोक्त राशि पर अनुमानित अग्रिम कर की राशि रु. 240 करोड़ हो, वहां
- (ग) वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रभावी कर दर = रु. 240 करोड़ / रु. 1000 करोड़ = 24 प्रतिशत होगी।
- (घ) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = $\frac{15.50}{(1-0.24)} = 20.395$ प्रतिशत होगी।

(तीन) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वास्तविक भुगतान किए गए कर के आधार पर, मय अतिरिक्त कर मांग के, उस पर ब्याज की राशि को जोड़कर पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को सत्यापित किया जाएगा जिसे यथोचित तौर पर कर के किसी प्रत्यर्पण हेतु, किसी वित्तीय वर्ष हेतु वास्तविक सकल आय पर, विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक से संबंधित, आयकर विभाग से प्राप्त की गई किसी ब्याज राशि को सम्मिलित करते हुए, समायोजित किया जाएगा। तथापि, किसी शास्ति की राशि, यदि कोई हो, जो किसी जमा की गई राशि के विलंबित भुगतान या निर्धारित कर राशि से कम जमा की गई राशि से उद्भूत हो, का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। पूंजी पर प्रतिलाभ पर सकलबद्ध दर की कम वसूल की गई या अधिक वसूली को, सत्यापित किए जाने के उपरान्त

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं से राशि की वसूली या प्रत्यर्पण किया जाएगा ।

24. ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार :

- 24.1 विनियम 20 में दर्शाई गई रीति में प्राप्त किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे ।
- 24.2 दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचित अदायगी को घटाकर की जाएगी ।
- 24.3 विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को संबंधित वर्ष/अवधि हेतु अनुज्ञात किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा । परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण से संबंधित मामले में, अदायगी का समायोजन संचित अदायगी द्वारा आनुपातिक आधार पर किया जाएगा तथा यह समायोजित राशि ऐसी परिसम्पत्ति के बारे में अपूंजीकरण तिथि तक वसूल की गई संचित अवमूल्यन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- 24.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही किसी भी विलम्बकाल अवधि का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञात किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा ।
- 24.5 ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण की श्रेणी के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली के विरुद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मान्य की जाएगी ।

- 24.6 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी ।

- 24.7 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु समस्त प्रयास करेगा जब तक कि यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत न हो जाए तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2 : 1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।
- 24.8 ऋणों के निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा ।
- 4.9 किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार यथा संशोधित मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु पारेषण क्रेताओं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उद्भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका नहीं जाएगा ।

25. अवमूल्यन/अवक्षयण :

विद्युत्-दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी:

(क) अवमूल्यन या अवक्षयण की गणना किसी पारेषण प्रणाली, उसकी संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के बारे में उसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से की जाएगी । किसी पारेषण प्रणाली में, उसकी संचार प्रणाली को शामिल करते हुए, विद्युत्-दर (टैरिफ) की दशा में, जिनके लिए एकल विद्युत्-दर अवधारण किया जाना आवश्यक हो, वहां अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना पारेषण प्रणाली की प्रभावी प्रचालन तिथि से, वैयक्तिक इकाईयों के अवमूल्यन पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की प्रभावी तिथि की गणना पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों के बारे में जिनकी एकल विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधारित किया जाना अपेक्षित हो, कार्यवाही वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा स्थापित क्षमता अथवा पारेषण प्रणाली के समस्त तत्वों की पूंजीगत लागत पर विचार करते हुए की जाएगी ।

(ख) अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत होगी । पारेषण प्रणाली के बहुविध तत्वों के प्रकरण में, पारेषण प्रणाली

के भारित औसत जीवनकाल का अनुप्रयोग किया जाएगा । परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में, वर्ष के किसी भाग हेतु, अवमूल्यन को आनुपातिक आधार पर भारित किया जाएगा ।

- (ग) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा का निधीयन (फंडिंग) सम्मिलित किया जाएगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपों में परिवर्तित किया जाएगा ।
- (घ) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया जाएगा ।
- (ङ) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन-योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में से कम कर दिया जाएगा ।
- (च) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरल रेखा विधि के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी:

परन्तु वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान

अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो

समय-समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया

जाएगा ।

- (छ) विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचित अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी । अवमूल्यन दर को परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक कि संचित अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता । तत्पश्चात्, अवशेष

अवमूल्यनयोग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

- (ज) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी अंश हेतु अवमूल्यन को आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा।
- (झ) पारेषण प्रणाली अथवा इसके किसी तत्व के बारे में संबंधित परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के मामले में संचित अवमूल्यन को उपयोगी सेवाओं के दौरान अपूंजीकृत परिसम्पत्ति द्वारा विद्युत-दर (टैरिफ) में वसूल किये गये अवमूल्यन को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा।

26. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पट्टे (लीज) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पट्टा प्रभार पट्टा संबंधी अनुबंध के अनुसार होंगे बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तियुक्त माना गया हो।

27. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

27.1 विद्युत दर (टैरिफ) अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया जाएगा।

27.2 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) से पारेषण तन्त्र मानदण्डों के बारे में मानदण्डीय व्ययों तथा वास्तविक व्ययों से संबंधित एकत्रित किये गये विवरणों का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक अनुज्ञात किये गये कर्मचारी व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय पूर्व नियन्त्रण अवधि के अन्तर्गत अनुज्ञात किये गये प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अनुसार एमपीपीटीसीएल द्वारा उपगत किये गये वास्तविक व्ययों से कहीं अधिक थे। इस प्रकार, वास्तविक प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 88 प्रतिशत थे।

27.3 कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों और प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों से संबंधित लागत घटकों पर उपरोक्त विनियमों के विनियम 37.1 के अनुसार विचार किया गया है। प्रचालन तथा संधारण व्ययों कर्मचारी व्ययों, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों तथा प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों को शामिल करते हुए पूर्व के चार वर्षों (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक) वार्षिक अंकेक्षित लेखों पर विचार करते हुए, प्राप्त किए गए हैं। उपरोक्त उल्लेखित चार वर्षों के

औसत व्यय को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु आधार प्रारंभिक आकड़ा माना गया है । तत्पश्चात, प्रचालन एवं संधारण के आंकड़ों की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2015-16 तक प्रयोज्य विनियमों में संबंधित वर्ष हेतु निर्दिष्ट वार्षिक वृद्धि दर के अनुप्रयोग द्वारा की गई है ।

- 27.4 अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आधार वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु व्ययों में वृद्धि द्वारा, जैसा कि वे उपरोक्तानुसार अवधारित किए गए हों, वृद्धि कारक 4.14% की दर से जैसा कि इसे केन्द्रीय आयोग द्वारा अपने टैरिफ विनियम, वर्ष 2014 हेतु, तत्संबंधी वित्तीय वर्षों हेतु माना गया है, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना हेतु अवधारित किया जाएगा ।
- 27.5 उपरोक्त प्रचालन तथा संधारण व्ययों में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाएं शामिल नहीं हैं। आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012(जी-38, वर्ष 2012) 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में व्यय उपरोक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे।
- 27.6 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा ।
- 27.7 ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को ट्रांसमिशन कम्पनी को वहन करना होगा ।

28. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :

- 28.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर मानदण्डीय आधार पर होगी तथा इसे 1.4.2016 की स्थिति में बैंक दर अथवा विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के दौरान उक्त वर्ष की पहली अप्रैल को, जिसके दौरान पारेषण प्रणाली, संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, माना जाएगा ।
- 28.2 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानदण्डीय आधार पर ही भुगतानयोग्य होगा, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बाह्य अभिकरण (एजेन्सी) से कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण प्राप्त न भी

किया गया हो ।

29. विदेशी विनिमय दर परिवर्तन :

- 29.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निवेश विनिमय की अनावृत्ति को पारेषण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में समायोजन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगी।
- 29.2 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संरक्षण की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि यह व्यय के रूप में, उद्भूत होता हो करेगा तथा इस प्रकार के विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रुपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजन किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 29.3 उक्त सीमा, जहां तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय अनावृत्ति का समायोजन करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रुपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञात किया जाएगा बशर्तें यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदारों के कारण उद्भूत न हों।
- 29.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समायोजन संबंधी लागत तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को आय या व्यय के रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वसूल करेगा।

30. आय पर कर:

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण क्रेताओं से आय-प्रवाहों पर कर की वसूली पृथक से नहीं की जाएगी ।

31. टैरिफ आय :

आयोग द्वारा विद्युत् के पारेषण हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से प्राप्त आय को टैरिफ आय माना जाएगा। टैरिफ आय में पारेषण प्रभार, प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रभार एवं अन्य प्रभार जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, सम्मिलित होंगे ।

32. गैर-टैरिफ आय :

- 32.1 मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004,

समय-समय पर यथासंशोधित के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची, जैसा कि इसका प्रावधान विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, को 'गैर-टैरिफ आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर-टैरिफ आय में पूंजी निवेश, सावधि जमा राशि तथा अन्य जमा राशियों एवं अन्य कोई गैर-टैरिफ आय शामिल की जाएगी।

32.2 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को, अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक, जिसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आय माना जाएगा।

33. विलंब भुगतान अधिभार :

ऐसे मामलों में, जहां पारेषण तथा अन्य प्रभारों से संबंधित देयकों के भुगतान में, देयकों की प्रस्तुति तिथि से 60 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रति दिवस विलंब हेतु 1.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित कर सकेगा।

34. छूट :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान साखपत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण/क्षेत्रीय लेन-देन सकल व्यवस्थापन के माध्यम से बिल प्रस्तुति के दो दिवस के भीतर किए जाने पर कम्पनी द्वारा 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों की प्रस्तुति के एक माह के भीतर किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान किये जाने पर एक प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।

35. व्यवसाय योजना तथा पूंजी निवेश :

35.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार भार अभिवृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, विद्युत् प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मापयंत्रण (मीटरिंग) आदि, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय योजना तथा भौतिक लक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

35.2 प्रमुख योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य आगामी विचाराधीन वर्ष में भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि में अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों से दीर्घ-अवधि के अनुबंधों का निष्पादन करेगा जिनके लिए प्रस्तावित मुख्य कार्य (योजनाएं) अन्तर्संयोजनों से ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में

पूर्ण लाभ पहुंचाएंगे। ऐसी विशिष्ट योजनाएं आयोग के अनुमोदनार्थ केवल हितग्राहियों से अनुबंधों के निष्पादन पश्चात ही प्रस्तुत की जाएंगी। यह सुविधा केवल ऐसे दीर्घ-अवधि हितग्राहियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण क्षमता के उपयोग हेतु दीर्घ-अवधि अनुबंधों का निष्पादन कर लेंगे।

35.3 आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान कर सकेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी को टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पूंजी निवेश योजना का आयोग से अनुमोदन कराना होगा।

35.4 अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी का अनुपात विनियम 20 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

अध्याय – तीन

पारेषण प्रणालियां

36. प्रचालन मानदण्ड :

36.1 मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक : सम्पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु यह कारक निम्नानुसार होगा:

एसी प्रणाली हेतु : टैरिफ अवधि हेतु 98.0 प्रतिशत

36.2 प्रोत्साहन के लिए, विचार हेतु :

ए.सी प्रणाली हेतु : 98.5 प्रतिशत

परन्तु 99.75 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता के लिये प्रोत्साहन का भुगतान देय नहीं होगा।

36.3 विद्युत् उपकेन्द्र में सहायक ऊर्जा खपत:

एसी प्रणाली:

वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी खपत, आदि के प्रयोजन हेतु विद्युत् उपकेन्द्र में सहायक खपत को पारेषण हानियों का भाग माना जाएगा।

37. प्रचालन तथा संधारण व्यय

37.1 प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एवं संधारण व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य लागत शामिल होंगे। प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को भुगतान योग्य प्रोत्साहन तथा बकाया राशि, शासन को देय कर तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं हैं। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक् से करेगा। पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का दावा विनियम 27.5 के अनुसार किया जाएगा। प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट-किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगे:

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति 'बे' :

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2016-17 | वित्तीय वर्ष 2017-18 | वित्तीय वर्ष 2018-19 |
|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | तन्तुपथ (Lines) | रूपये लाख / 100 सर्किट किलोमीटर/वर्ष | | |
| 1 | 400 केवी तन्तुपथ | 32.00 | 33.32 | 34.70 |
| 2 | 220 केवी तन्तुपथ | 29.88 | 31.11 | 32.40 |
| 3 | 132 केवी तन्तुपथ | 31.44 | 32.74 | 34.10 |
| | बे (Bays) | रूपये लाख / बे/ वर्ष | | |
| 1 | 400 केवी बे | 09.58 | 09.98 | 10.39 |
| 2 | 220 केवी बे | 11.12 | 11.58 | 12.06 |
| 3 | 132 केवी बे | 11.16 | 11.62 | 12.10 |

37.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना 'बे' की संख्या तथा लाईन की 100 सर्किट किलोमीटर लंबाई क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट-किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्त औसत द्वारा की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, जैसा लागू हो, अनुज्ञेय-योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के समर्थन में, वास्तविक अथवा प्रक्षेपित लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक्-पृथक् प्रस्तुत करेगा।

37.3 सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान पृथक् से विनियम 27.5 में किये गये प्रावधान अनुसार किया जाएगा।

38. कार्यकारी पूंजी :

विद्युत्-दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित मदें शामिल होंगी:

- (1) संधारण कलपुर्जों (स्पेअर्स) पर, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि विनियम 37.1 में निर्दिष्ट किया गया है;
- (2) लक्ष्य उपलब्धि स्तर के आधार पर की गई गणनानुसार पारेषण प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियों की लागत; तथा
- (3) प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु।

39. वार्षिक पारेषण प्रभार :

39.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कुल वार्षिक व्ययों तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना विनियम 17 से 30 सहपठित विनियम 36 से 38 के अनुसार अनुज्ञेय व्ययों एवं प्रतिलाभ के आधार पर की जाएगी ।

39.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके वार्षिक पारेषण प्रभारों की वसूली हितग्राहियों से विनियम 40 तथा 41 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति में किये जाने बाबत प्राधिकृत होगा ।

40. स्थाई प्रभारों की वसूली :

40.1 पारेषण प्रणाली की स्थाई लागत की गणना वार्षिक आधार पर इन विनियमों में अन्तर्विष्ट मानदण्डों के अनुसार, इन्हें समुचित रूप से जोड़कर की जाएगी तथा प्रयोक्ताओं से इसकी वसूली पारेषण प्रभार के रूप में मासिक आधार पर की जाएगी जिनके मध्य विनियम में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार, इन प्रभारों का परस्पर बंटवारा किया जाएगा ।

40.2 किसी पारेषण प्रणाली की दशा में, किसी कलेण्डर माह हेतु देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित कर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$(AFC \times NDM/NDY) \times (TAFM/NATSAF) \text{ (रूपये में)}$$

जहां

AFC – वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

TAFM – एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, % (प्रतिशत) में, जिसकी गणना परिशिष्ट-3 के अनुसार की जाएगी,

NATSAF – मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, जैसा कि इसे कण्डिका 36.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है,

NDM – एक माह में दिवस संख्या,

NDY – एक वर्ष में दिवस संख्या ।

परन्तु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) के एक माह हेतु उसके पारेषण उपलब्धता कारक के प्राक्कलन पर आधारित देयक प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में समायोजन यदि कोई हों तो वे एक माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक के आधार पर तैयार किये जाएंगे जिन्हें सुसंगत माह के अंतिम दिवस से 30 दिवस के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

41. हितग्राहियों द्वारा पारेषण प्रभार (टीएससी) भुगतानों में हिस्सेदारी तथा तत्संबंधी भुगतान:
- 41.1 यदि किसी पारेषण प्रणाली का सृजन किसी विशिष्ट दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राही हेतु, जिसमें किसी विद्युत् उत्पादक केन्द्र हेतु समर्पित पारेषण तन्तुपथ भी शामिल हैं, किया गया हो तो ऐसी पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों का भुगतान, उक्त दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राही द्वारा किया जाएगा ।
- 41.2 किसी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु, मासिक पारेषण प्रभारों को दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं द्वारा हिस्सेदारी हेतु निम्न सूत्र के अनुसार समुच्चय किया जाएगा :
- किसी राज्यान्तरिक प्रणाली के अन्तर्गत एक माह हेतु उक्त पारेषण प्रणाली के लिये किसी दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेता द्वारा भुगतान योग्य पारेषण प्रभार :
- $$= (AFC \times NDM/NDY) \times CL/SCL$$
- AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),
- NDM = एक माह में दिवस संख्या,
- NDY = एक वर्ष में दिवस संख्या,
- CL = दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमता,
- SCL = राज्य पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घ-अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमताओं का योग ।
- 41.3 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के मध्यम-अवधि प्रयोक्ताओं द्वारा उक्त मेगावाट के अनुपात में प्रभार का भुगतान किया जाएगा जिस हेतु, मध्यम-अवधि उपयोग राज्य पारेषण इकाई द्वारा उक्त माह हेतु अनुमोदित किया गया हो ।
- 41.4 लघु-अवधि हितग्राही यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2005 के अनुसार प्रीारों का भुगतान कर सकेंगे ।
- 41.5 किसी संयंत्र क्षमता से संबद्ध पारेषण प्रभार, जिस हेतु हितग्राही को चिन्हित तथा संविदाकृत नहीं किया गया हो, का भुगतान संबंधित उत्पादक कम्पनी द्वारा किया जाएगा ।
- 41.6 राष्ट्रीय विद्युत् नीति की धारा 5.8.10 में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किये जाने वाले प्रयासों का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने विद्युत् वितरण कम्पनियों के लिये वितरण हानि का प्रक्षेप-वक्र निर्दिष्ट किया है। आयोग द्वारा जारी वितरण विद्युत्-दर संबंधी विनियमों में वितरण हानि स्तर का प्रक्षेप-वक्र निर्दिष्ट किया गया था। यद्यपि म.प्र. शासन ने पारेषण हानि के संबंध में प्रक्षेप-वक्र निर्दिष्ट नहीं किया है, तथापि आयोग एतद् द्वारा पूर्व वर्षों की वास्तविक पारेषण हानियों पर आधारित निम्न प्रक्षेप-वक्र निर्दिष्ट करता है ताकि मापदण्डों तथा टैरिफ संबंधी विषयों पर संदर्भ उपलब्ध रहे :

लक्ष्यबद्ध पारेषण हानियां (प्रतिशत में)

| वित्तीय वर्ष | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------------|---------|---------|---------|
| प्रतिशत | 2.82% | 2.82% | 2.82% |

अध्याय-चार

विविध

42. अनुमोदित स्वच्छ विकास कार्यविधि से प्राप्त कार्बन आकलन प्राप्तियों का परस्पर बंटवारा निम्न रीति द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :
- (क) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की शत प्रतिशत राशि परियोजना के विकासकर्ता द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयं के पास रखी जाएगी ।
- (ख) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जाएगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के उपरान्त, प्राप्तियों का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों द्वारा समान अनुपात में बंटवारा किया जाएगा ।
43. मानदण्डों से विचलन :
- 43.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रभारों हेतु टैरिफ का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा :
- (क) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत, समतुल्य विद्युत्-दर (टैरिफ) जिसकी गणना केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित छूट कारक पर आधारित मानदण्डों से विचलन के आधार पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु की गई हो, बशर्ते यह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई गणना से अधिक न हो ।
- (ख) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू टैरिफ के अवधारण हेतु टैरिफ याचिका वार्षिक राजस्व आवश्यकता दायर करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ।
44. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :
- यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग किसी साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसा कार्य कर सकेगा उत्तरदायित्व संभल सकेगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग की राय में कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजन से आवश्यक अथवा वांछनीय है ।

45. संशोधन करने की शक्ति:

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के उपबन्धों को उनमें कुछ जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन करने संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

46. निरसन तथा व्यावृत्ति

46.1 विनियम अर्थात्: “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आरजी-28(II), वर्ष 2012}” क्रमांक 3359/मप्रविनिआ/2012 दिनांक 07.12.2012 जो राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 14.12.2012 द्वारा तथा संशोधनों के साथ सहपठित है जैसा कि यह विनियमों की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

46.2 इस विनियमों में की कोई भी बात आयोग की ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

46.3 इन विनियमों में की कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेंगे, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

46.4 इन विनियमों में की कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेंगे, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी रीति में, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि वह ठीक समझे ।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव

परिशिष्ट-1

परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी निर्धारित समय-सीमा (विनियम-23)

- परियोजना को पूर्ण किये जाने संबंधी समय-तालिका की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निविदा जारी किये जाने संबंधी तिथि से इकाईयों की अथवा खण्ड (ब्लाक) पारेषण परियोजना के तत्व की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक जैसा कि वह लागू हो, की जाएगी।
- निम्न पैरा तथा तालिकाओं में समय-सारणी, माह में दर्शाई गई है;

| पारेषण कार्य | मैदानी क्षेत्र (माह में) | पहाड़ी क्षेत्र (माह में) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 400 केवी डी/सी क्वाड (Quad) पारेषण तन्तुपथ | 38 | 44 |
| 400 केवी डी/सी ट्रिपल (Triple) पारेषण तन्तुपथ | 36 | 42 |
| 400 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ | 34 | 40 |
| 400 केवी एस/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ | 30 | 36 |
| 220 केवी डी/सी ट्विन (Twin) पारेषण तन्तुपथ | 34 | 40 |
| 220 केवी डी/सी पारेषण तन्तुपथ | 30 | 36 |
| 220 केवी एस/सी पारेषण तन्तुपथ | 26 | 32 |
| नवीन 220 केवी एसी उपकेन्द्र | 24 | 27 |
| नवीन 400 केवी एसी उपकेन्द्र | 30 | 33 |
| 132 केवी पारेषण लाईन | 22 | 28 |
| नवीन 132 केवी एसी उपकेन्द्र | 18 | 22 |

टीप :

- ऐसे प्रकरण में, जहां कोई योजना उपरोक्त उल्लेखित की परियोजनाओं का संयोजन हो, वह गतिविधि जिसकी अर्हकारी समय-सारणी अधिकतम समय-सीमा दर्शाती हो, वह समय-सीमा योजना हेतु सम्पूर्ण समय-सीमा मानी जाएगी।
- ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण तन्तुपथ लाईन मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्र/बहुत कठिन क्षेत्र में आता हो, संयुक्त अर्हकारी समय-सारणी की गणना प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले तन्तुपथ की लम्बाई को अनुपातिक रूप से भारित करते हुए की जाएगी।

परिशिष्ट-2

अवमूल्यन अनुसूची

| सरल क्रमांक | परिसंपत्ति की विशिष्टताएं | अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य = 10 %) |
|-------------|--|-----------------------------------|
| | | सरल रेखा विधि |
| अ | पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि | 0.00% |
| ब | पट्टे के अंतर्गत भूमि | |
| ए | भूमि में निवेश हेतु | 3.34% |
| बी | स्थल की सफाई की लागत हेतु | 3.34% |
| स | नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां | |
| ए | निम्न हेतु भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य | |
| (i) | कार्यालय एवं शोरूम | 3.34% |
| (ii) | अस्थाई संरचनाएं, जैसे कि काष्ठ संरचनाएं | 100.00% |
| (iii) | कच्चे मार्गों को छोड़कर, अन्य मार्ग | 3.34% |
| (iv) | अन्य | 3.34% |
| बी | ट्रांसफार्मर, गुमटियां उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र सम्मिलित कर) | |
| (i) | ट्रांसफार्मर, नींव को सम्मिलित करते हुए जिसका मूल्यांकन (रेटिंग) 100 केवीए तथा इससे अधिक है | 5.28% |
| (ii) | अन्य | 5.28% |
| सी | स्विचगियर, केबल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए | 5.28% |
| डी | तड़ित चालक | |
| (i) | स्टेशन प्रकार का | 5.28% |
| (ii) | खंभा प्रकार का | 5.28% |
| ई | सिन्क्रोनस कन्डेंसर | 5.28% |
| एफ | बैट्रियां | 5.28% |
| (i) | भूमिगत केबल, जाईट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सम्मिलित कर | 5.28% |
| (ii) | केबल डक्ट प्रणाली | 5.28% |
| जी | फेब्रीकेटेड इस्पात पर शिरोपरि तन्तुपथ, जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किया गया है | 5.28% |
| एच | मापयंत्र (मीटर) | 5.28% |
| आई | स्वचालित वाहन | 9.50% |
| जे | वातानुकूलन संयंत्र | |

| | | |
|----------|---|--------|
| (i) | स्थिर | 5.28% |
| (ii) | वहनीय | 9.50% |
| के (i) | कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग | 6.33% |
| के (ii) | कार्यालय उपकरण | 6.33% |
| के (iii) | आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग तथा उपकरण सम्मिलित कर | 6.33% |
| के | पथ-प्रकाश फिटिंग्स | 5.28% |
| एल | भाड़े पर प्रदान किये गये उपकरण | |
| (i) | मोटरों को छोड़कर | 9.50% |
| (ii) | मोटरें | 6.33% |
| एम | संचार उपकरण | |
| (i) | रेडियो तथा उच्च संवाहक प्रणाली | 6.33% |
| (ii) | दूरभाष लाईनें तथा दूरभाष | 6.33% |
| एन | सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण | 15.00% |
| ओ | अन्य सम्पत्तियां जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं | 5.28% |

परिशिष्ट-तीन

एक माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना की प्रक्रिया(Procedure for Calculation of Transmission SystemAvailability Factor for a Month)

एक कलेण्डर माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक अर्थात् 'Transmission system availability factor for a calendar month-TAFM' अथवा टीएफएम की गणना तत्संबंधी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) द्वारा की जाएगी तथा इसे संबंधित भार प्रेषण केन्द्र (Load Dispatch Centre) से पृथक-पृथक प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current-AC) 'एसी' तथा उच्च वोल्टेज दिष्टधारा (High Voltage Direct Current- HVDC) या ऐचवीडीसी प्रणाली हेतु सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जाएगा तथा पारेषण प्रभारों के परस्पर बटवारे (Sharing) द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा। पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना प्रत्येक क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (regional transmission system) तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (inter regional transmission system) के लिए की जाएगी। टीएफएम की गणना के प्रयोजन से :

- (i) एसी पारेषण तन्तुपथ (AC Transmission Lines) : एसी पारेषण तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ (Circuit) को एक तत्व (element) माना जाएगा।
- (ii) अन्तःसम्बद्ध ट्रांसफार्मर (Inter- Connecting Transformers- ICTs) : प्रत्येक अन्तःसम्बद्ध ट्रांसफार्मर संकोष (ICT Bank) या आईसीटी बैंक (तीन एकल फेज ट्रांसफार्मरों को एक साथ संयोजित करते हुए) एक तत्व (element) का गठन करेंगे।
- (iii) स्थैतिक वार क्षतिपूरक (Static VAR Compensator-SVC) अथवा 'एसवीसी' : एसवीसी मय एसवीसी ट्रांसफार्मर द्वारा एक तत्व (element) का गठन किया जाएगा। तथापि, प्रेरक मूल्यनिर्धारण (inductive rating) तथा संधारित्र मूल्यनिर्धारण (capacitive rating) को क्रमशः 50-50 प्रतिशत आकलन (credit) प्रदान किया जाएगा।
- (iv) बस रिएक्टर (Bus Reactors)/ स्विचयोग्य लाईन रिएक्टर (switchable line reactors)- प्रत्येक बस रिएक्टर/स्विचबल लाईन रिएक्टर को एक तत्व माना जाएगा।
- (v) उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा द्वि-ध्रुवीय संयोजन (HVDC Bi-Pole links)- एसवीडीसी संयोजन का प्रत्येक ध्रुव या पोल, दोनों छोरों पर सहायक उपकरण के साथ एक तत्व का गठन करेंगे।
- (vi) उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र (HVDC back to back station) : उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र के प्रत्येक खण्ड को एक तत्व माना जाएगा। यदि सम्बद्ध

एसी तन्तु (AC line) (जो उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र के माध्यम से अन्तर्क्षेत्रीय विद्युत् के अन्तरण के लिए आवश्यक है) उपलब्ध न हो तो उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र पृष्ठासन्न खण्ड की भी अनुपलब्ध माना जाएगा।

पारेषण प्रणाली की प्रत्यावर्ती धारा (एसी) तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (एचवीडीसी) भाग की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

एसी प्रणाली हेतु टीएफएम प्रतिशत (% TAFM for AC system)

$$= \frac{o \times AV_o + p \times AV_p + q \times AV_q + r \times AV_r}{o + p + q + r} \times 100$$

एचवीडीसी प्रणाली हेतु टीएफएम प्रतिशत (%TAFM for HVDC system)

$$= \frac{s \times AV_s + t \times AV_t}{S + t} \times 100$$

जहां

o = एसी तन्तुपथों की कुल संख्या

AVo = एसी तन्तुपथों (AC lines) की 'o' संख्या की उपलब्धता

p = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाईन रिएक्टरों की कुल संख्या

AVp = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाईन रिएक्टरों की 'p' संख्या की उपलब्धता

q = अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मरों (ICTs) की कुल संख्या

AVq = अंतःसंबद्ध ट्रांसफार्मरों (ICTs) की 'q' संख्या की उपलब्धता

r = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों (SVCs) की कुल संख्या

AVr = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों की 'r' संख्या की उपलब्धता

s = एचवीडीसी ध्रुवों (HVDC poles) की कुल संख्या

AVs = एचवीडीसी ध्रुवों (HVDC poles) की 's' संख्या की उपलब्धता

t = एचवीडीसी पृष्ठासन्न केन्द्र खण्डों (HVDC back to back station blocks) की कुल संख्या

AVt = एचवीडीसी पृष्ठासन्न केन्द्र खण्डों की 't' संख्या की उपलब्धता

पारेषण तत्वों (transmission elements) की प्रत्येक श्रेणी का भारिता कारक (weightage factor) निम्नानुसार होगा :

(क) एसी तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ हेतु (For each circuit of AC line) - अक्षतिपूरित तन्तुपथ (uncompensated line) हेतु प्रोत्कर्ष प्रतिबाधिता भारण (Surge Impedance Loading) तथा सर्किट किलोमीटर (ckt-km) का गुणनफल सर्किट किलोमीटर का गुणनफल

विभिन्न वोल्टेज स्तरों तथा चालक समाकृति (Conductor Configuration) हेतु प्रोत्कर्ष प्रतिबाधिता भारण (Surge Impedance Loading-SIL) या 'सिल' परिशिष्ट चार में दर्शाया गया है। तथापि वोल्टेज स्तर और/या चालक समाकृतियां (Conductor Configuration) परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध नहीं की गई हैं। अतएव, उपलब्धता गणना हेतु तकनीकी सोच-विचार के आधार पर उपयुक्त 'सिल' का उपयोग दीर्घ अवधि पारेषण क्रेताओं/नामोदिष्ट या अन्तर्राज्यीय उपभोक्ता (Designated Inter State Consumer DIC) को सूचना प्रदान करते हुए दिया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति की गई एसी लाइन हेतु 'सिल' को तन्तुपथ (लाइन) की क्षतिपूर्ति पर विचार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

पार्श्व-पथन क्षति पूरित तन्तुपथ हेतु 'सिल' के घटे हुए मूल्य को रिएक्टर की स्थिति के अनुसार माना जाएगा। इसी प्रकार, श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति से युक्त तन्तुपथों के प्रकरण में, 'सिल' को क्षतिपूर्ति के प्रतिशत के रूप में माना जाएगा।

(ख) प्रत्येक उच्च दिष्ट धारा (HVDC) पोल हेतु - निर्धारित मेगावाट क्षमता x सर्किट किलोमीटर

(ग) प्रत्येक अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर संकोष (ICT Bank) हेतु- निर्धारित एमवीए क्षमता (rated MVA capacity)

(घ) स्थैतिक वार क्षतिपूरक (svc) हेतु-निर्धारित एमवीएआर क्षमता (MVA capacity) {प्ररेक (inductive) तथा संधारित्र (capacitive)}

(ङ) बस रिएक्टर/स्विचयोग्य लाइन रिएक्टर (Bus Reactor/switchable line reactors)- निर्धारित एमवीएआर क्षमता (rated MVA capacity)

(च) दो क्षेत्रीय ग्रिडों को संयोजित करने वाला एचवीडीसी पृष्ठासन्न केन्द्र (HVDC back-to-back station)- प्रत्येक खण्ड की निर्धारित मेगावाट क्षमता

पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की गणना भारिता कारक (weightage factor) उक्त अवधि के प्रत्येक तत्व हेतु विचाराधीन कुल घंटों की अवधि तथा अनुपलब्ध घंटों की

अवधि के आधार पर की जाएगी। पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु गणना के सूत्र परिशिष्ट-पांच के अनुसार होंगे।

अवरोध के अंतर्गत पारेषण तत्वों को निम्न कारणों से उपलब्ध माना जाएगा :

- (i) अन्य पारेषण प्रणाली के संधारण अथवा निर्माण हेतु प्रणाली बंद किये जाने हेतु प्राप्त की गई सुविधा यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में हो तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र मानी गई उपलब्धता अवधि को सन्निहित कार्य हेतु परिसीमित कर सकेगा, जैसा कि वह इसे युक्तियुक्त समझे।
- (ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशानुसार किसी पारेषण तन्तुपथ की आधिक्य वोल्टेज को नियंत्रित किये जाने हेतु तथा चालू रिएक्टरों की हस्तचालित व्यवस्था द्वारा आपूर्ति बंद करना।

निम्न आकस्मिकताओं हेतु विचाराधीन अवधि के दौरान, पारेषण तत्वों की अवरोध अवधि को तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा -

- (i) दैविक प्रकोप तथा आपदाग्रस्त घटनाएं, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के अवरोध का तत्व उपरोक्त घटनाओं के कारा से हैं, न कि रूपांकन की किसी असफलता के कारण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तत्व की पुनः स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय-पर विचार किया जाएगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्व की पुनर्स्थापना हेतु युक्तियुक्त समय के उपरांत लिए गये अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण लिया गया समय माना जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी विशेषज्ञ को युक्तियुक्त पुनर्स्थापना समय का अनुमान किये जाने हेतु परामर्श ले सकेगा। आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली (Emergency Restoration System) के माध्यम से पुनर्स्थापित किये गये सर्किटों को उपलब्ध कराया गया माना जाएगा।
- (ii) किसी ग्रिड की घटना/विक्षेभ (disturbance) के कारण घटित अवरोध, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण न हो, उदाहरण के तौर पर अन्य किसी एजेन्सी के स्वामित्व वाले उपकेन्द्र तथा 'बे' में दोष जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तत्वों मते अवरोध उत्पन्न करता हो, ग्रिड में विक्षेभ के कारण तन्तुपथों अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मरों आदि से विद्युत् आपूर्ति बंद होना। तथापि, यदि ग्रिड की घटना/विक्षेभ के उपरांत तत्व की पुनर्स्थापना क्षेत्रीय राज्य भार प्रेषण केन्द्र से निर्देशों की प्राप्ति के उपरांत भी युक्तियुक्त समय में उसे सामान्य स्थिति में लाते समय प्राप्त न हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनर्स्थापना हेतु अवरोध अवधि बाबत जारी किये गये दिशा-निर्देशों के उपरांत तत्त्व को उपलब्ध न कराया गया माना जाएगा।

एसी लाईनों का 'सिल' मूल्य

{SURGE IMPEDANCE LOADING (SIL) OF AC LINES}

| सरल क्र. S. No. | तन्तुपथ वोल्टेज (Line voltage) (kV) | चालक समाकृति (Conductor Configuration) | 'सिल' (SIL) (MW) |
|--------------------|---|--|---------------------|
| 1 | 765 | Quad Bersimis | 2250 |
| 2 | 400 | Quad Bersimis | 691 |
| 3 | 400 | Twin Moose | 515 |
| 4 | 400 | Twin AAAC | 425 |
| 5 | 400 | Quad Zebra | 647 |
| 6 | 400 | Quad AAAC | 646 |
| 7 | 400 | Tripple Snowbird | 605 |
| 8 | 400 | ACKC (500/26) | 556 |
| 9 | 400 | Twin ACAR | 557 |
| 10 | 220 | Twin Zebra | 175 |
| 11 | 220 | Single Zebra | 132 |
| 12 | 132 | Single Panther | 50 |
| 13 | 66 | Single Dog | 10 |

परिशिष्ट- 5

पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु उपलब्धता की गणना हेतु सूत्र

(FORMULAE FOR CALCULATION OF AVAILABILITY OF EACH CATEGORY OF TRANSMISSION ELEMENTS)

AV_0 (0 संख्या की एसी लाइनों की उपलब्धता)

$$\{AV_0 \text{ (Availability of } 0 \text{ no. of AC lines) } \} = \frac{\sum_{i=1}^0 \frac{W_i(T_i - T_{NAD})}{T_i}}{\sum_{i=1}^0 W_i}$$

AV_s (उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पोल की s संख्या की उपलब्धता)

$$\{AV_s \text{ (Availability of } s \text{ no. of HVDC pole) } \} = \frac{\sum_{j=1}^s \frac{W_j(T_j - T_{NAD})}{T_j}}{\sum_{j=1}^s W_j}$$

AV_q (अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मरों की q संख्या की उपलब्धता)

$$\{AV_q \text{ (Availability of } q \text{ no. of ICTs) } \} = \frac{\sum_{k=1}^q \frac{W_k(T_k - T_{NAD})}{T_k}}{\sum_{k=1}^q W_k}$$

AV_r (स्थैतिक वार क्षतिपूरकों की r संख्या की उपलब्धता)

$$\{AV_r \text{ (Availability of } r \text{ no. of SVCs) } \} = \frac{\left[\sum_{i=1}^r 0.5 \frac{W_i(T_i - T_{NAD})}{T_i} + \sum_{i=1}^r 0.5 \frac{W_{ci}(T_{ci} - T_{NAD})}{T_{ci}} \right]}{\left[\sum_{i=1}^r 0.5 W_i + \sum_{i=1}^r 0.5 W_{ci} \right]}$$

AV_p (स्विचयोग्य बस रिएक्टरों की p संख्या की उपलब्धता)

$$\{AV_p \text{ (Availability of } p \text{ no. of Switched Bus reactor) } \} = \frac{\sum_{m=1}^p \frac{W_m(T_m - T_{NAD})}{T_m}}{\sum_{m=1}^p W_m}$$

AV_t (उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्डों की t संख्या की उपलब्धता)

$$\{AV_t \text{ (Availability of } t \text{ no. of HVDC Back to back Blocks) } \} = \frac{\sum_{n=1}^t \frac{W_n(T_n - T_{NAD})}{T_n}}{\sum_{n=1}^t W_n}$$

जहां

W_i = i वे पारेषण परिपथ(transmission) हेतु भारिता कारक (Weightage factor)

W_j = j वे उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पोल (HVDC pole) हेतु भारिता कारक

W_k = k वे अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT) हेतु भारिता कारक

W_l & W_{cl} = l वे स्थैतिक वार क्षतिपूरक SVC के प्रेरक (inductive) तथा संधारित (capacitive) परिचालन हेतु भारिता कारक

W_m = m वें बस रिएक्टर हेतु भारिता कारक

W_n = n वें उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्ड हेतु भारिता कारक

$T_i, T_j, T_k, T_l, T_{cl}, -$ विचाराधीन अवधि के अंतर्गत i वीं एसी लाईन, j वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल (HVDC pole) k वें अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT) l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC) {प्रेरक परिचालन (Inductive Operation)}, l वें स्थैतिकवार क्षतिपूरक (SVC) {संधारित परिचालन (Capacitive Operation)} m वें स्विचयुक्त बस रिएक्टर (Switched Bus Reactor) तथा n वें उच्चदाब दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्ड (HVDC back-to-back block) की कुल अवधि, {घंटों में अवरोधों (outages) हेतु समय अवधि को छोड़कर जो पैरा 6 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आरोप्य नहीं है}

$T_{NAi}, T_{NAj}, T_{NAk} -$ i वीं एसी लाईन, j वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल (HVDC pole), k वे अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT), l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC) प्रेरक परिचालन (Inductive Operation), l वें स्थैतिकवार क्षतिपूरक (SVC) संधारित परिचालन (Capacitive Operation), m वे स्विचयुक्त बस रिएक्टर (Switched Bus Reactor) तथा n वें उच्चदाब दिष्ट धारा पृष्ठासन्न खण्ड (HVDC back-to-back block) हेतु अनुपलब्धता की अवधि घंटों में {अवरोधों (outages) हेतु समय अवधि को छोड़कर जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आरोप्य नहीं है, जिसे पैरा 5 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार T_{NAi} मानी गई उपलब्धता लिया गया है}

Bhopal, the 13th January, 2016

No. 58-MPERC.2016- Whereas, the first control period of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations 2005 (G-28 of 2005) expired on 31st March, 2009, the Commission notified revision (RG-28(I) of 2009) of these Regulations dated 30th April, 2009 on 08th May 2009 to notify the principles and methodologies for the second MYT control period from FY 2009-10 to FY 2011-12. Vide Fourth amendment dated 3rd February, 2012, the Commission extended the control period up to March, 2013. For the next control period from FY 2013-14 to FY 2015-16, the Commission notified revision [RG-28(II) of 2012] on 7th December, 2012. In order to specify the terms and conditions for determination of Transmission tariff for the next control period from FY 2016-17 to FY 2018-19, these Regulations are needed notified to be notified.

Now therefore in exercise of the powers conferred by clause (h) (zd) of sub-section (2) of Section 181 read with Sections 36 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Regulations, namely :-

CHAPTER - 1
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement:-

- 1.1 These Regulations shall be called "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) (Revision-III) Regulations, 2016 [RG-28 (III) of 2016].
- 1.2 These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh.
- 1.3 These Regulations shall come in force with effect from 01st April 2016 and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of three years that is up to 31st March 2019.

2. Scope and extent of application.-

- These Regulations shall apply in all cases of determination of transmission Tariff under section 62 of the Electricity Act, 2003 to be charged by the Transmission Licensee from Distribution Licensees/

Open Access Customers, where the capacity of the Transmission System has been allocated under MPERC (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005, as amended from time to time, but shall not apply for Transmission System whose Tariff has been discovered through tariff based competitive bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government and adopted by the Commission under Section 63 of the Act.

3. **Norms of Operation to be threshold norms.-**

For removal of doubts, it is clarified that the norms of operation specified under these Regulations are the threshold norms and this shall not preclude the Transmission Licensee and Beneficiaries from agreeing to improved norms of operation and in such cases, the improved norms as agreed to shall be applicable for determination of Tariff.

4. **Definitions.-**

4.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Accounting Statement" means for each financial year the following statements, namely-
 - (i) Balance sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule VI to the Companies Act, 1956 or in the relevant Schedule of its amendment; together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time;
 - (ii) Profit and loss account, complying with the requirements contained in Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 or in the relevant Schedule of its amendment;
 - (iii) Cash flow statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on Cash Flow Statement (AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India;

- (iv) Report of the Auditor(s) of the licensee;
- (v) Directors' report and accounting policies;
- (vi) Cost records, if any, prescribed by the Central Government under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 or in the relevant section of its amendment;
- (c) "Additional Capitalization" means the Capital Expenditure incurred or projected to be incurred, after the Date of Commercial Operation of the project and admitted by the Commission after prudent check, in accordance with provisions of Regulation 18 of these Regulations;
- (d) "Auditor" means an auditor appointed by a Transmission Licensee, as the case may be, in accordance with the provisions of sections 224, 233B and 619 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)], as amended from time to time or Chapter X of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any other law for the time being in force;
- (e) "Availability" in relation to a Transmission System for a given period shall mean the time in hours during that period the Transmission System is capable of transmitting electricity at its declared voltage to the delivery point and shall be expressed in percentage of total hours in the given period;
- (f) "Bank Rate" means the base rate of interest as specified by the State Bank of India from time to time or any replacement thereof for the time being in effect plus 350 basis points;
- (g) "Beneficiary" means long term, medium term and short term Transmission Customers, whose tariff is determined under these Regulations;
- (h) "Capital Cost" means the capital cost as determined in accordance with Regulation 17 of these Regulations;
- (i) "Change In Law" means occurrence of any of the following events:
 - (i) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law; or

- (ii) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law; or
 - (iii) change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality which is the final authority under law for such interpretation or application; or
 - (iv) change by any competent statutory authority in any condition or covenant of any consent or clearances or approval or licence available or obtained for the project; or
 - (v) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implication for the Transmission System regulated under these Regulations;
- (j) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (k) "Communication System" includes Communication System of Madhya Pradesh Power Transmission Company Ltd. covered under State Load Dispatch and Communication (SLD&C) scheme, SCADA, Wide Area Measurement (WAMS), Fibre Optic Communication System, Remote Terminal Unit, Private Automatic Branch Exchange, Radio Communication System and auxiliary power supply system etc. used for managing intra-state transmission of electricity;
- (l) "Competitive Bidding" means a transparent process for procurement of equipment, services and works in which bids are invited by the project developer by open advertisement covering the scope and specifications of the equipment, services and works required for the project, and the terms and conditions of the proposed contract as well as the criteria by which bids shall be evaluated, and shall include domestic competitive bidding and international competitive bidding;
- (m) "Cut-off Date" means 31st March of the year closing after two years of the year of commercial operation of whole or part of the project, and in case the whole or part of the project is declared under commercial operation in the last quarter of a year, the cutoff date

shall be 31st March of the year closing after three years of the year of commercial operation:

Provided that the cut-off date may be extended by the Commission if it is proved on the basis of documentary evidence that the capitalisation could not be made within the cut-off date for reasons beyond the control of the project developer;

- (n) "Day" means a calendar day consisting of 24 hours period starting at 0000 hour;
- (o) "Date of commercial operation" in relation to a Transmission System shall mean the date declared by the Transmission Licensee from 0000 hour of which an element of the Transmission System is in regular service after successful trial operation for transmitting electricity and communication signal from sending end to receiving end:

Provided that.-

- (i) where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of power from a particular generating station, the generating company and Transmission Licensee shall endeavour to commission the generating station and the Transmission System simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate Implementation Agreement between the Generating Company and the Transmission Licensee;
- (ii) in case a Transmission System or an element thereof is prevented from regular service for reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its contractors but is on account of the delay in commissioning of the concerned generating station or in commissioning of the upstream or downstream Transmission System, the Transmission Licensee shall approach the Commission through an appropriate application for approval of the date of Commercial Operation of such Transmission System or an element thereof.
- (iii) Date of Commercial Operation in relation to a Communication System or element thereof shall mean the date declared by the Transmission Licensee from 0000 hour of which a Communication

System or element is put into service after completion of site acceptance test including transfer of voice and data to respective control centre as certified by the respective State Load Dispatch Centre;

- (p) "De-capitalisation" for the purpose of the tariff under these Regulations, means reduction in Gross Fixed Assets of the project corresponding to the removal/deletion of assets as admitted by the Commission;
- (q) "De-Commissioning" means removal from service of a Transmission System including Communication System or element thereof, after it is certified by any authorized agency, either on its own or on an application made by the project developer or the beneficiaries or both, that the project cannot be operated due to non performance of the assets on account of technological obsolescence or uneconomic operation or a combination of these factors;
- (r) "Element" in respect of a Transmission System shall mean an asset which has been distinctively defined under the scope of the project in the Investment Approval;
- (s) "Expenditure incurred" means the funds, whether the equity or debt or both, actually deployed and paid in cash or cash equivalent, for creation or acquisition of a useful asset and does not include commitments or liabilities for which no payment has been released;
- (t) "Existing Project" means the project declared under commercial operation on a date prior to 1.4.2016;
- (u) "Extended Life" means the life of a Transmission System or element thereof beyond the period of useful life, as may be determined by the Commission on case to case basis;
- (v) "Force Majeure" for the purpose of these Regulations means the event or circumstance or combination of events or circumstances including those stated below which partly or fully prevents the Transmission Licensee to complete the project within the time

specified in the Investment Approval, and only if such events or circumstances are not within the control of the Transmission Licensee and could not have been avoided, had the Transmission Licensee taken reasonable care or complied with prudent utility practices:

- (a) Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally adverse weather conditions which are in excess of the statistical measures for the last hundred years; or
- (b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action; or
- (c) Industry wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;
- (w) "Grid Code" means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time or subsequent re-enactment thereof;
- (x) "Implementation Agreement" means the agreement, contract or memorandum of understanding, or any such covenant, entered into (i) between Transmission Licensee and Generating Station or (ii) between Transmission Licensee and developer of the associated Transmission System for the execution of project in coordinated manner;
- (y) "Investment Approval" means approval by the Board of the Transmission Licensee or any other competent authority conveying administrative sanction for the project including funding of the project and the timeline for the implementation of the project:

Provided that the date of Investment Approval shall reckon from the date of the resolution/minutes of the Board/approval by competent authority.

- (z) "Kilowatt-Hour" or 'kWh' means a unit of electrical energy, measured in one kilowatt or one thousand watts of power produced or consumed over a period of one hour;
- (za) "Long-Term Transmission Customer" means a person having a Long Term Transmission Service agreement with the Transmission Licensee including deemed Transmission Licensee for use of intra/inter-State Transmission System by paying transmission charges and the term may be used interchangeably with the term Designated ISTS Customers (DICs);
- (zb) "Medium-Term Transmission Customer" means a person having a medium-term lien for the period exceeding three months and upto three years over an inter/ intra-State Transmission System by virtue of paying transmission charges;
- (zc) "New Project" means the project achieving COD or anticipated to be achieving COD on or after 1.4.2016;
- (zd) "Officer" means an Officer of the Commission;
- (ze) "Operation and Maintenance Expenses" or 'O&M expenses' means the expenditure incurred for operation and maintenance of the project, or part thereof, and includes the expenditure on manpower, repairs, maintenance spares, consumables, insurance and overheads but excludes fuel expenses and water charges;
- (zf) "Original Project Cost" means the capital expenditure incurred by the Transmission Licensee, within the original scope of the project up to the cut-off date, as admitted by the Commission;
- (zg) "Project" means a Transmission System including Communication System;
- (zh) "Prudence Check" means scrutiny of reasonableness of capital expenditure incurred or proposed to be incurred, financing plan, use of efficient technology, cost and time over-run and such other factors as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff. While carrying out the Prudence Check, the Commission shall look into whether the Transmission Licensee has

- been careful in its judgments and decisions for executing the project or has been careful and vigilant in executing the project;
- (zi) "Regular Service" means putting into use a Transmission System or element thereof after successful trial operation and a certificate to that effect has been issued by the State Load Despatch Centre;
- (zj) "Rated Voltage" means the voltage designed by manufacture at which the transmission system is designed to operate and includes such lower voltage at which any transmission line is charged or for the time being charged, in consultation with Long-term Transmission Customers;
- (zk) "Scheduled Commercial Operation Date or SCOD" shall mean the date(s) of commercial operation of a Transmission System or element thereof as indicated in the Investment Approval or as agreed in transmission service agreement, whichever is earlier;
- (zl) "Secretary" means Commission Secretary;
- (zm) "Short-term Transmission Customer" in the context of usage of Transmission System means a person having short term lien for a period upto three months over an inter/ intra-State Transmission System by virtue of paying transmission charges;
- (zn) "Start Date or Zero Date" means the date indicated in the investment approval for commencement of implementation of the project and where no date has been indicated, the date of investment approval shall be deemed to be Start Date or Zero Date;
- (zo) "Transmission Service Agreement" means the agreement entered into between the Transmission Licensee and the Long-Term/Medium Term Transmission customer(s) for the use of Transmission System;
- (zp) "Tariff" shall mean the Schedule of charges for transmission of electricity together with terms and conditions thereof;
- (zq) "Tariff Period" shall mean the period for which Tariff is determined by the Commission under these Regulations;

- (zr) "Transmission Line" shall have the same meaning as defined in sub-section (72) of section 2 of the Act;
- (zs) "Transmission System" means a line or a group of lines with or without associated sub-station, equipment associated with Transmission lines and sub-stations;
- (zt) "Transmission Licensee" means a Licensee authorized to establish or operate transmission lines;
- (zu) "Transmission System Availability Factor" means Availability of the Transmission System as certified by the State Load Despatch Centre;
- (zv) "Trial Run and Trial Operation" in relation to a Transmission System or an element thereof shall mean successful charging of the Transmission System or an element thereof for 24 hours at continuous flow of power, and communication signal from sending end to receiving end and with requisite metering system, telemetry and protection system in service enclosing certificate to that effect from State Load Despatch Centre;
- (zw) "Useful life" in relation to a Transmission System from the COD shall mean the following, namely:
- | | | |
|-------|---|----------|
| (i) | AC and DC sub-station | 25 years |
| (ii) | Gas Insulated Substation (GIS) | 25 years |
| (iii) | Transmission line (including HVAC & HVDC) | 35 years |
| (iv) | Communication System | 15 years |

Provided that the useful life for AC and DC substations and GIS for which Notice Inviting Tender is floated on or after 01.04.2016 shall be considered as 35 years;

Provided further that the extension of life of the projects beyond the completion of their useful life shall be decided by the Commission;

- (zx) "Year" shall mean financial year;

- 4.2 The words and expressions used in these Regulations but not defined herein but defined in the Act or any other Regulation of the commission shall have the same meaning as assigned to them under the Act or any other Regulation of the Commission.

5. Determination of Tariff.-

- 5.1 The Commission shall determine Tariff and charges including terms and conditions thereof under Section 62 of the Act read with Section 86 and Section 36 in the following cases: -
- (i) Intra-State transmission of electricity;
 - (ii) Rates and charges for use of intervening transmission facilities, where these cannot be mutually agreed upon by the Licensees.
- 5.2 Notwithstanding anything contained in Part X of the Act, the Tariff for any inter- State transmission of electricity involving the territories of two States may, upon application made to it by the parties intending to undertake such transmission be determined by the Commission in cases where such system is intended to be used exclusively for benefit of the Licensee and that such Licensee is under the Commission's jurisdiction.

6. Principles for Tariff determination.-

- 6.1. The Commission, while specifying the terms and conditions for the determination of Tariff under these Regulations, is guided by the principles contained in section 61 of the Act.
- 6.2. These Regulations intend to encourage Transmission Licensee to operate on sound commercial principles. The Transmission Licensee shall be required to prepare their Accounting Statements as per the Company Law requirement, which shall be regularly submitted before the Commission as detailed in Regulation 9.1. The incentive allowed to the Transmission Licensee shall depend upon performance relative to the benchmark levels of the operating parameters fixed by the Commission. Only prudent capital expenditure shall be considered for inclusion in the asset base.

- 6.3. The Multi Year Tariff principles adopted in these Regulations seek to promote competition, adoption of commercial principles, efficient working of the Transmission Licensee and protection of beneficiaries' interest. The operating and cost parameters for the Tariff Period have been prescribed after duly considering the past performance. The allowable Tariffs shall be determined in accordance with these norms. The Transmission Licensee is allowed to retain savings as a reward for performance better than those prescribed in these Regulations. This is expected to incentivize the Transmission Licensee for efficient performance and economical use of resources.
- 6.4. Only those investments and capital expenditure that are in accordance with the guidelines issued by the Commission in this regard shall be allowed to be recovered through Tariff. This shall ensure prudent investments by the Transmission Licensee.

7. Procedure for making an application for determination of Tariff.-

- 7.1. An application for determination of Tariff shall be made in accordance with the manner specified in these Regulations and shall be accompanied by such fees as may be specified.
- 7.2. The Commission shall, at all times, have the authority, either Suo-Motu or on a petition filed by any interested or affected party, to determine the Tariff, including terms and conditions thereof, of Transmission Licensee and shall initiate the process of such determination in accordance with the procedure as may be specified:

Provided that the proceedings for such determination of Tariff, including terms and conditions thereof, shall be in the same manner as set out in the Conduct of Business Regulations, as amended from time to time.

- 7.3. The Transmission Licensee shall provide, as part of the application to the Commission, information in such formats, in hard and soft copy, as may be required by the Commission.
- 7.4. The Commission or the Secretary or any Officer designated for the purpose by the Commission may, upon scrutiny of the application, require the Transmission Licensee to furnish such additional

information or particulars or documents as may be considered necessary for the purpose of processing the application.

- 7.5. Upon receipt of the complete application accompanied by all requisite information, particulars and documents in compliance with all the requirements, the application shall be deemed to have been received and the Commission or the Secretary or the Officer designated for the purpose by the Commission shall intimate to the Transmission Licensee that the application is ready for publication, in such abridged form and manner, as may be specified [Refer MPERC (Details to be furnished and fees payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making an application) Regulation 2004 as amended from time to time]. The Transmission Licensee shall put all the details of the petition filed before the Commission on its website not later than seven working days of its acceptance by the Commission.
- 7.6. The Transmission Licensee shall furnish to the Commission all such books and records (or certified true copies thereof), including the Accounting Statements, operational and cost data, as may be required by the Commission for determination of Tariff.
- 7.7. The Commission may, if deemed necessary, make available to any person, at any time, such information as has been provided by the Transmission Licensee to the Commission including abstracts of such books and records (or certified true copies thereof):

Provided that the Commission may, by order, direct that any information, documents and papers/materials maintained by the Commission, shall be confidential or privileged and shall not be available for inspection or supply of certified copies, and the Commission may also direct that such document, papers or materials shall not be used in any manner except as specifically authorized by the Commission.

- 7.8. If the petition is inadequate in any respect as required under these Regulations, the petition shall be returned to the Transmission Licensee for resubmission of the petition within one month after rectifying the deficiencies as may be pointed out by the staff of the Commission.

- 7.9. If the information furnished in the petition is in accordance with the Regulations and is adequate for carrying out prudence check of the claims made, the Commission shall consider the suggestions and objections, if any, received from the respondents within one month from the date of filing of the petition (or any time period specified by the Commission) and any other person including the consumers or consumer associations. The Commission shall issue the tariff order after hearing the petitioner, the respondents and any other person specifically permitted by the Commission.

8. Methodology for Determination of Tariff and True-up.-

- 8.1. The Commission shall define Tariff Period for the Transmission Licensee from time to time. The principles for Tariff determination shall be applicable for the duration of the Tariff Period. The principles that guide tariff determination for the next tariff period shall be valid for the period from 1st April' 2016 to 31st March' 2019.
- 8.2. Tariff in respect of Transmission Licensee shall be determined for the entire Transmission System of the Licensee.
- 8.3. A Transmission Licensee shall file a petition at the beginning of the Tariff Period. A review shall be undertaken by the Commission to scrutinise and true up the Tariff on the basis of the capital expenditure and additional capital expenditure actually incurred in the Year for which the true up is being requested. However, in such true up, any abnormal and uncontrollable variation can also be considered at the Commission's discretion.
- 8.4. The Commission shall carry out truing up of tariff of Transmission Licensee based on the performance of the following uncontrollable parameters:
- (i) Force Majeure; and
 - (ii) Change in Law;

Provided that no additional impact of time over-run or cost over-run shall be allowed on account of non-commissioning of the generating station or associated Transmission System by SCOD, as

the same should be recovered through Implementation Agreement between the generating company and the Transmission Licensee:

Provided also that if the Transmission System is not commissioned on SCOD of the generating station, the Transmission Licensee shall arrange the evacuation from the generating station at its own arrangement and cost till the associated Transmission System is commissioned.

- 8.5. The financial gain by the Transmission Licensee on account of controllable parameters shall be shared between the Transmission Licensee & the Beneficiaries in the ratio of 2:1 respectively on monthly basis with annual reconciliation.
- 8.6. The financial gains and losses by the Transmission Licensee on account of the uncontrollable parameters shall be passed on to the long term Transmission Customers.
- 8.7. If the Tariff already recovered is more than the Tariff determined after true-up, the Transmission Licensee shall refund to the Long-term transmission customers the excess amount so recovered as specified in the Regulation 8.9 of these Regulations.
- 8.8. If the Tariff already recovered is less than the tariff determined after true-up, the Transmission Licensee shall recover from the Long-term transmission customers, the under recovered amount as specified in the Regulation 8.9 of these Regulations subject to adhering to the timelines specified by the Commission for filing of True-up Application. In case, it is found that the filing of True-up is delayed due to the reasons attributable to the Transmission Licensee, the under recovery shall not bear any interest.
- 8.9. The amount under-recovered or over-recovered alongwith simple interest at the rate equal to the Bank rate as on 1st April of the respective year, shall be recovered or refunded by the Transmission Licensee within six months from the date of the tariff order issued by the Commission.
- 8.10. The Multi Year Tariff filing in hard and soft copy shall be in accordance with and in the formats prescribed in MPERC (Details to be furnished

and fees payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making an application) Regulations, 2004 (as amended from time to time) within 60 days of notification of these Regulations.

- 8.11. The Transmission Licensee shall make an application in hard and soft copy in the same formats prescribed in MPERC (Details to be furnished and fees payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making an application) Regulations, 2004 (as amended from time to time) for carrying out true up exercise by 15th November each year.

9. Preparation & submission of Annual Accounts, Reports etc.-

- 9.1. Every Transmission Licensee shall submit Annual Statement of Accounts and such other information as may be specified by the Commission. In addition to the submission of Annual Accounts, the Transmission Licensee shall be required to comply with the information requirements by various Regulations and license conditions notified by the Commission from time to time.

- 9.2. In the absence of submission of the required information by the Transmission Licensee, the Commission may initiate Suo-motu proceedings.

10. Periodicity of Tariff determination.-

- 10.1. No Tariff or part of any Tariff may ordinarily be amended, more frequently than once in any Year. The Commission may, after satisfying itself for reasons to be recorded in writing, may allow for the revision of Tariff.

- 10.2. Subject to other provisions of these Regulations, the expenses allowed to be recovered for any Year, shall be subject to adjustments in any tariff to be determined for the subsequent period if the Commission is satisfied that such adjustment for the excess amount or shortfall in the amount actually realized or expenses incurred is necessary and the same is not on account of any reason attributable and within the control of the Transmission Licensee.

11. Hearings.-

The procedure of hearing on the Tariff application shall be as specified in MPERC (Details to be furnished and fees payable by licensee for determination of Tariff and manner of making an application) Regulations 2004, as amended from time to time.

12. Orders of the Commission.-

12.1. The Commission, after the petition has been filed, may require the Transmission Licensee to furnish any further information, particulars, documents, public records etc as the Commission may consider appropriate to enable the Commission to review the petitioner's calculations, assumptions and assertions.

12.2. After receipt of information or otherwise, the Commission may make appropriate orders in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Details to be furnished and fees payable by licensee for determination of Tariff and manner of making an application) Regulations, 2004 as amended from time to time.

13. Charging of Tariff other than approved.-

Any Transmission Licensee found to be charging a tariff different from the one approved by the Commission from beneficiaries shall be deemed to have not complied with the directions of the Commission and shall be liable to be proceeded against under Section 142 of the Act without prejudice to any other liability becoming due from the licensee under any other provisions of the Act. In case the amount recovered exceeds the amount allowed by the Commission, the excess amount so recovered shall be refunded to the beneficiaries who have paid such excess charges, along with simple interest for that period equivalent to the Bank rate as on 01.04.2016 or as on 01st April of the year during the tariff period FY 2016-17 to FY 2018-19 besides any other penalty that may be imposed by the Commission."

14. Annual review of Transmission Licensee.-

14.1. The Transmission Licensee shall submit periodic returns as may be specified, containing operational and cost data to enable the

Commission to monitor the implementation of its order.

The Transmission Licensee shall submit to the Commission annual statements of its performance and accounts including latest report of audited accounts.

CHAPTER II

PRINCIPLES & METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF TARIFF

15. Petition for determination of Tariff.-

15.1. The Transmission Licensee shall file a petition accompanied by such forms as may be specified for determination of Tariff complying with provisions of Chapter I of these Regulations and MPERC (Details to be furnished and fee payable by licensee or generating company for determination of Tariff and manner of making application) Regulations 2004, as amended from time to time, based on the principles specified by the Commission in these Regulations. These principles shall be implemented from the date of commencement of these Regulations and shall be applicable for the period upto 31st March, 2019.

15.2. The Transmission Licensee shall continue to provisionally bill the Beneficiaries or the Long-term Customers based on Tariff approved by the Commission and applicable as on 31.03.2016 for the period starting from 01.04.2016 till approval of Tariff by the Commission in accordance with these Regulations:

Provided that where the Tariff Provisionally billed exceeds or falls short of the final Tariff approved by the Commission under these Regulations, the Transmission Licensee shall refund to or recover from the Beneficiaries or the Transmission Customers, as the case may be, within six months from the date of determination of final Tariff under these Regulations alongwith simple interest at the rate equal to the Bank rate as on 01.04.2016 or as on 1st April of the year during the tariff period of FY 2016-17 to FY 2018-19.

16. CERC's Principles.-

16.1. The Commission while framing these Regulations has been guided by the principles and methodologies specified by the Central Commission (CERC) in its notification dated 21.02.2014 on Terms and Conditions of Tariff Regulation, 2014 effective from 01.04.2014

17. Capital Cost and Capital structure.-

17.1. Following shall be included in the Capital cost for a Project-

- (a) the expenditure incurred or projected to be incurred on original scope of work, including interest during construction and financing charges, any gain or loss on account of foreign exchange rate variation during construction on the loan shall be as under-
 - (i) being equal to 70% of the funds deployed, in the event of the actual equity in excess of 30% of the funds deployed, by treating the excess equity as normative loan, or
 - (ii) being equal to the actual amount of loan in the event of the actual equity less than 30% of the funds deployed, up to the Date of Commercial Operation of the Project, as admitted by the Commission after prudent check, shall form the basis for determination of Tariff.
- (b) Capitalized initial spares subject to the following ceiling norms:
 - (i) Transmission line - 1.00%
 - (ii) Transmission Sub-station (Green Field) - 4.00%
 - (iii) Transmission Sub-station (Brown Field) - 6.00%
 - (iv) Series Compensation devices and HVDC Station - 4.00%
 - (v) Gas Insulated Sub-station (GIS) - 5.00%
 - (vi) Communication System - 3.5%

Provided that:

- i. where the benchmark norms for initial spares have been published as part of the benchmark norms for capital cost by the Commission, such norms shall apply to the exclusion of the norms specified above:
- ii. where the generating station has any transmission equipment forming part of the generation project, the ceiling norms for initial spares for such equipments shall be as per the ceiling norms specified for Transmission System under these Regulations

(c) Additional capital expenditure determined under Regulation 18:

Provided that the assets forming part of the Project but not in use shall be taken out of the capital cost.

17.2. The capital cost admitted by the Commission after prudent check shall form the basis for determination of Tariff.-

Provided that in case of individual transmission project, prudent check of capital cost may be carried out based on the benchmark norms specified by the Central Commission from time to time:

Provided further that in cases where benchmark norms specified by the Central Commission are not applied, prudent check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for determination of Tariff:

Provided also that where the Transmission Service Agreement provide for ceiling of actual expenditure, the capital expenditure admitted by the Commission shall take into consideration such ceiling for determination of Tariff:

Provided also that in case of the Existing Projects, the capital cost admitted by the Commission prior to 01.04.2016 and the additional capital expenditure projected to be incurred for the respective Year of the Tariff period during FY 2016-17 to FY 2018-19, as may be admitted by the Commission, shall form the basis for determination of capital cost:

Provided further that in cases where benchmarks norms have been specified, the Transmission Licensee shall submit the reasons for exceeding the capital cost from benchmark norms to the satisfaction of the Commission for allowing cost above benchmark norms:

17.3. Scrutiny of the cost estimates by the Commission shall be with regard to the reasonableness of the capital cost, financing plan, interest during construction, use of efficient technology, and such other matters. The Commission may obtain expert advice as deemed necessary.

17.4. Restructuring of capital cost in terms of relative share of equity and loan component shall be permitted during the Tariff Period provided it does not affect Tariff adversely. Any benefit from such restructuring shall be passed on to long term intrastate Open Access customers of Transmission Licensee in a ratio as may be specified by the Commission.

17.5. Interest during construction (IDC).-

- (i) Interest during construction shall be computed corresponding to the loan from the date of infusion of debt fund, and after taking into account the prudent phasing of funds upto SCOD.
- (ii) In case of additional costs on account of IDC due to delay in achieving the SCOD, Transmission Licensee shall be required to furnish detailed justifications with supporting documents for such delay including prudent phasing of funds:

Provided that if the delay is not attributable to the Transmission Licensee and is due to uncontrollable factors as specified in Regulation 8.4 of these Regulations, IDC may be allowed after due prudence check:

Provided further that only IDC on actual loan may be allowed beyond the SCOD to the extent, the delay is found beyond the control of the Transmission Licensee after due prudence and taking into account prudent phasing of funds.

Incidental Expenditure during Construction (IEDC).-

- (i) Incidental expenditure during construction shall be computed from the zero date and after taking into account pre-operative expenses upto SCOD:

Provided that any revenue earned during construction period up to SCOD on account of interest on deposits or advances, or any other receipts may be taken into account for reduction in incidental expenditure during construction.

- (ii) In case of additional costs on account of IEDC due to delay in achieving the SCOD, the Transmission Licensee shall be required to furnish detailed justification with supporting documents for such delay including the details of incidental expenditure during the period of delay and liquidated damages recovered or recoverable corresponding to the delay:

Provided that if the delay is not attributable to the Transmission Licensee and is due to uncontrollable factors as specified in Regulation 8.4, IEDC may be allowed after due prudence check:

Provided further that where the delay is attributable to an agency or contractor or supplier engaged by the Transmission Licensee, the liquidated damages recovered from such agency or contractor or supplier shall be taken into account for computation of capital cost.

- (iii) In case the time over-run beyond SCOD is not admissible after due prudence, the increase of capital cost on account of cost variation corresponding to the period of time over run may be excluded from

capitalization irrespective of price variation provisions in the contracts with supplier or contractor of the Transmission Licensee.

18. Additional capitalization and De-capitalization.-

18.1. The capital Expenditure incurred or projected to be incurred, on the following counts within the original scope of work, after the Date of Commercial Operation and upto the cut-off date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

- (a) Undischarged liabilities recognized to be payable at a future date;
- (b) Works deferred for execution;
- (c) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of order or decree of a court of law;
- (d) Change in law or compliance of any existing law; and
- (e) Procurement of initial capital spares within the original scope of work, subject to the provisions of Regulation 17.1 (b):

Provided that the details of works asset wise/ work wise included in the original scope of work along with estimates of expenditure, liabilities recognized to be payable at a future date and works deferred for execution shall be submitted along with the application for determination of tariff.

18.2. The capital expenditure of the following nature actually incurred or projected to be incurred after the Cut-off date may, in its discretion, be admitted by the Commission, subject to prudence check:

- (a) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court of law;
- (b) Change in law or compliance of any existing law;

- (c) Any additional expenditure on items such as relays, control and instrumentation, computer system, power line carrier communication, DC batteries, replacement due to obsolesce of technology, replacement of switchyard equipment due to increase of fault level, tower strengthening, communication equipment, replacement of porcelain insulator with polymer insulators, emergency restoration system, insulators cleaning infrastructure, replacement of damaged equipment not covered by insurance and any other expenditure which has become necessary for successful and efficient operation of Transmission System;
- (d) Any expenses to be incurred on account of need of higher security and safety of the plant as advised or directed by the appropriate Government Agencies of statutory authorities responsible for national security/ internal security;
- (e) Any liability for works executed prior to cut-off date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release of such payments etc;
- (f) Any liability for works admitted by the Commission after the cut-off date to the extent of discharge of such liabilities by actual payments;

Provided that if any expenditure has been claimed under Renovation and Modernization (R&M), repairs and maintenance under (O&M) expenses, same expenditure cannot be claimed under this Regulation.

18.3. In case of de-capitalization of assets of a Transmission Licensee, the original cost of such asset as on the date of de-capitalization shall be deducted from the value of Gross Fixed Assets and corresponding loan as well as equity shall be deducted from outstanding loan and the equity respectively in the year in which such de-capitalization takes place, duly taking into consideration the year in which it was capitalized.

19. Renovation and Modernisation.-

- 19.1. The Transmission Licensee for meeting the expenditure on Renovation and Modernization (R&M) for the purpose of extension of life beyond the originally recognized useful life for the purpose of tariff of the Transmission System, shall make an application before the Commission for approval of the proposal with a Detailed Project Report giving complete scope, justification, cost-benefit analysis, estimated life extension from a reference date, financial package, phasing of expenditure, schedule of completion, reference price level, estimated completion cost including foreign exchange component, if any, consent of Beneficiaries and any other information considered to be relevant by the Transmission Licensee.
- 19.2. Where the Transmission Licensee makes an application for approval of its R&M proposal, the approval shall be granted after due consideration of reasonableness of the cost estimates, financing plan, schedule of completion, interest during construction, use of efficient technology, cost-benefit analysis, and such other factors as may be considered relevant by the Commission.
- 19.3. Any Expenditure incurred or projected to be incurred and admitted by the Commission after prudence check based on the estimates of Renovation and Modernization expenditure and life extension, and after writing off the original amount of the replaced assets and deducting the accumulated depreciation including advance against depreciation already recovered from the Original project cost, shall form the basis for determination of Tariff.

20. Debt-equity ratio.-

- 20.1. For a Project declared under commercial operation on or after 1.4.2016, the debt-equity ratio would be considered as 70:30 as on CoD. If the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan:

Provided that:

- (i) where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, the actual equity shall be considered for determination of Tariff.
- (ii) the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment.
- (iii) Any grant obtained for the execution of the project shall not be considered as a part of capital structure for the purpose of debt:equity ratio.

Explanation- The premium, if any, raised by the Transmission Licensee, while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserve, for the funding of the Project, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, only if such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure of the Transmission System.

20.2. In case of the Transmission System including Communication System declared under commercial operation prior to 1.4.2016, debt:equity ratio allowed by the Commission for determination of Tariff for the period ending 31.3.2016 shall be considered.

20.3. In case the Transmission System including Communication System declared under commercial operation prior to 01.04.2016, but where debt:equity ratio has not been determined by the Commission for determination of tariff for the period ending 31.03.2016, the Commission shall approve the debt:equity ratio based on actual information provided by the Transmission Licensee.

20.4. Any Expenditure incurred or projected to be incurred on or after 1.4.2016 as may be admitted by the Commission as additional capital expenditure for determination of Tariff and Renovation and Modernisation expenditure for life extension shall be serviced in the manner specified in Regulation 20.1.

21. Transmission Tariff.-

21.1. The Tariff for transmission of electricity on intra-State Transmission System shall comprise the transmission charge for recovery of annual fixed cost consisting of the components specified in Regulation 22.

22. Annual Fixed Cost.-

The Annual Fixed Cost (AFC) of a Transmission System including Communication System shall consist of the following components –

- (a) Return on equity;
- (b) Interest and finance charges on loan capital;
- (c) Depreciation;
- (d) Lease/ Hire Purchase charges;
- (e) Interest on working capital; and
- (f) Operation and maintenance expenses.

23. Return on Equity.-

23.1. Return on equity shall be computed in rupee terms, on the paid up equity capital determined in accordance with Regulation 20.

23.2. Return on equity shall be computed at the base rate of 15.5% to be grossed up as per clause 23.3 of this Regulation:

Provided that:-

- (i) in case of Projects commissioned on or after 1st April, 2016, an additional return of 0.5% shall be allowed if such projects are completed within the timeline specified in **Appendix-I**;
- (ii) the additional return of 0.5% shall not be admissible if the Project is not completed within the timeline specified above for reasons whatsoever;

- (iii) additional RoE of 0.5% may be allowed if any element of the transmission project is completed within the specified timeline and it is certified by the competent authority that commissioning of the particular element will benefit the system operation in the regional/national grid:
- (iv) the rate of return of a new project shall be reduced by 1% for such period as may be decided by the Commission, if the Transmission System is found to be declared under Commercial Operation without commissioning of any of the data telemetry and Communication System up to Load Dispatch Centre or protection system:
- (v) as and when any of the above requirements are found lacking in a Transmission System based on the report submitted by SLDC, RoE shall be reduced by 1% for the period for which the deficiency continues:

23.3. The base rate of return on equity as allowed by the Commission under Regulation 23.2 shall be grossed up with the effective tax rate of the respective financial year. For this purpose, the effective tax rate shall be considered on the basis of actual tax paid in the respective financial year in line with the provisions of the relevant Finance Acts by the concerned Transmission Licensee, The actual income tax on other income stream including deferred tax (i.e., income of non transmission business) shall not be considered for the calculation of "effective tax rate".

23.4. Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the formula given below:

$$\text{Rate of pre-tax return on equity} = \text{Base rate} / (1-t)$$

Where t is the effective tax rate in accordance with clause 23.3 of this Regulation, and shall be calculated at the beginning of every financial year based on the estimated profit and tax to be paid estimated in line

with the provisions of the relevant Finance Act applicable for that financial year to the company on pro-rata basis by excluding the income of or non-transmission business, as the case may be, and the corresponding tax thereon. In case of Transmission Licensee paying Minimum Alternate Tax (MAT), "t" shall be considered as MAT rate including surcharge and cess.

Illustration.-

- (i) In case of the Transmission Licensee paying Minimum Alternate Tax (MAT) say, @ 20.96% including surcharge and cess:
Rate of return on equity = $15.50 / (1 - 0.02096) = 19.610\%$
- (ii) In case of the Transmission Licensee paying normal corporate tax including surcharge and cess:
 - (a) Estimated Gross Income from transmission business for FY 2016-17 is Rs 1000 Crore.
 - (b) Estimated Advance Tax for the year on above is Rs 240 Crore
 - (c) Effective Tax Rate for the year 2016-17 = $\text{Rs } 240 \text{ Crore} / \text{Rs } 1000 \text{ Crore} = 24\%$
 - (d) Rate of return on equity = $15.50 / (1 - 0.24) = 20.395\%$
- (iii) The Transmission Licensee shall true up the grossed up rate of return on equity at the end of every financial year based on actual tax paid together with any additional tax demand including interest thereon, duly adjusted for any refund of tax including interest received from the income tax authorities pertaining to the tariff period FY 2016-17 to FY 2018-19 on actual gross income of any financial year. However, penalty, if any, arising on account of delay in deposit or short deposit of tax amount shall not be claimed by the Transmission Licensee. Any under-recovery or over-recovery of grossed up rate on return on equity after truing up, shall be recovered or refunded to the Long Term Transmission Customers on year to year basis.

24. Interest and finance charges on loan capital.-

- 24.1. The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 20 shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan.
- 24.2. The normative loan outstanding as on 1.4.2016 shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to 31.3.2016 from the gross normative loan.
- 24.3. The repayment for each year of the tariff period FY 2016-17 to FY 2018-19 shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for the corresponding year/period. In case of de-capitalization of assets, the repayment shall be adjusted by taking into account cumulative repayment on a pro-rata basis and the adjustment should not exceed cumulative depreciation recovered upto the date of decapitalization of such asset.
- 24.4. Notwithstanding any moratorium period availed by the Transmission Licensee, the repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the project and shall be equal to the annual depreciation allowed.
- 24.5. The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio after providing appropriate accounting adjustment or interest capitalized

Provided that if there is no actual loan for a particular year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be considered.

Provided further that if the Transmission System, does not have actual loan, then the weighted average rate of interest of the Transmission Licensee as a whole shall be considered.

- 24.6. The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the year by applying the weighted average rate of interest.
- 24.7. The Transmission Licensee shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event

the costs associated with such re-financing shall be borne by the Beneficiaries and the net savings shall be shared between the Beneficiaries and the Transmission Licensee, in the ratio of 2:1.

24.8. The changes to the terms and conditions of the loans shall be reflected from the date of such re-financing.

24.9. In case of dispute, any of the parties may make an application in accordance with the MPERC (Conduct of Business) Regulation, 2004, as amended from time to time:

Provided that the Transmission Customers shall not withhold any payment on account of the interest claimed by the Transmission Licensee during the pendency of any dispute arising out of re-financing of loan.

25. Depreciation.-

For the purpose of Tariff, depreciation shall be computed in the following manner:

- (a) Depreciation shall be computed from the date of commercial operation of a Transmission System including Communication System or element thereof. In case of the tariff of a Transmission System including Communication System for which a single tariff needs to be determined, the depreciation shall be computed from the effective date of commercial Operation of the Transmission System taking into consideration the depreciation of individual units or elements thereof.

Provided that effective date of Commercial Operation shall be worked out by considering the actual date of Commercial Operation and installed capacity or capital cost of all elements of the Transmission System, for which single tariff needs to be determined.

- (b) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission. In case of multiple

clements of Transmission System, weighted average life Transmission System shall be applied. Depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operation. In case of commercial operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on pro rata basis.

- (c) The approved/accepted cost shall include foreign currency funding converted to equivalent rupee at the exchange rate prevalent on the date of foreign currency actually availed.
- (d) The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset.
- (e) Land other than land held under lease shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the asset.
- (f) Depreciation shall be calculated annually based on 'Straight Line Method' and at rates specified in **Appendix-II** to these Regulations for the assets of the Transmission System.

Provided that, the remaining depreciable value as on 31st March of the year closing after a period of 12 years from date of Commercial Operation shall be spread over the balance useful life of the assets.

Provided further that the Consumer contribution or capital subsidy/ grant etc for asset creation shall be treated as per the Accounting Rules notified and in force from time to time.

- (g) In case of the existing Projects, the balance depreciable value as on 1.4.2016 shall be worked out by deducting the cumulative depreciation including Advance Against Depreciation as admitted by the Commission upto 31.3.2016 from the gross depreciable value of the assets. The rate of Depreciation shall be continued to

be charged at the rate specified in Appendix-II till cumulative depreciation reaches 70%. Thereafter, the remaining depreciable value shall be spread over the remaining life of the asset such that the maximum depreciation does not exceed 90%.

- (h) Depreciation shall be chargeable from the first Year of commercial operation. In case of commercial operation of the asset for part of the Year, depreciation shall be charged on *pro rata* basis.
- (i) In case of de-capitalization of assets in respect of Transmission System or element thereof, the cumulative depreciation shall be adjusted by taking into account the depreciation recovered in tariff by the decapitalized asset during its useful services.

26. Lease/ Hire Purchase charges.-

Lease charges for assets taken on lease by Transmission Licensee shall be as per lease agreement provided that the charges are considered reasonable by the Commission.

27. Operation & Maintenance expenses.-

27.1. Operation and Maintenance Expenses shall be determined for the Tariff period based on normative O&M expenses specified by the Commission in these Regulations.

27.2. On examination of the details gathered from MPPTCL regarding transmission network parameters being considered for calculation of normative expenses and actual expenditure from FY 2010-11 to FY 2013-14 in respect of Employee expenses, Repair and Maintenance expenses and Administrative and General expenses, it was found that the normative O&M expenses allowed in the last control period was higher than the actual expenditure incurred by MPPTCL. The actual O&M expenses had been about 88% of the normative O&M expenses.

27.3. The cost components for employee expenses, repair & maintenance expenses and administrative and general expenses are considered as per Regulations 37.1 of these Regulations. The Operation and Maintenance

expenses including employee expenses, repair and maintenance expenses, and administrative and general expenses are derived by considering the average of these expenditures for past four years (i.e. FY 2010-11 to FY 2013-14) as per Annual Audited Accounts. The average expenditure of the aforesaid four years is considered as base opening figure for FY 2012-13. Thereafter, the figures of O&M expenditure are derived upto FY 2015-16 by applying the annual escalation rate specified for the respective year in the applicable Regulations.

- 27.4. The O&M expenses for the subsequent years shall be determined by escalating the expenses of the base year i.e. FY 2015-16, as determined above, with the escalation factor @ 4.14% as considered by the Central Commission for Transmission Licensees in its Tariff Regulations, 2014 for the respective financial years to arrive at permissible O&M expenses for each year of the Control Period.
- 27.5. The employee expenses considered in the above Operation and Maintenance expenses are excluding the pension and other terminal benefits. The Commission has notified MPERC (Terms and Condition for allowing Pension and Terminal Liabilities of Personal of Board and Successor Entities) Regulations, 2012 (G-38 of 2012) on 20th April, 2012. The expenses towards pension and terminal liabilities will be allowed as per the provisions of aforesaid Regulations.
- 27.6. Increase in O&M charges on account of war, insurgency or changes in laws, or like eventualities where the Commission is of the opinion that an increase in O&M charges is justified, may be considered by the Commission for a specified period.
- 27.7. Any saving achieved by a Transmission Company in any Year shall be allowed to be retained by it. The Transmission Company shall bear the loss if it exceeds the targeted O&M expenses for that Year.

28. Interest charges on working capital.-

- 28.1. Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be considered as the bank rate as on 1.4.2016 or as on 1st April of the

year during the tariff period FY 2016-17 to FY 2018-19 in which the Transmission System including Communication System or element thereof is declared under commercial operation, whichever is later.

28.2. Interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Transmission Licensee has not taken loan for working capital from any outside agency.

29. Foreign Exchange Rate Variation (FERV).-

29.1. The Transmission Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired for the Transmission System, in part or full at the discretion of the Transmission Licensee.

29.2. Every Transmission Licensee shall recover the cost of hedging of Foreign Exchange Rate Variation corresponding to the normative foreign debt, in the relevant Year on year-to-year basis as expense in the period in which it arises and extra rupee liability corresponding to such Foreign Exchange Rate Variation shall not be allowed against the hedged foreign debt.

29.3. To the extent the Transmission Licensee is not able to hedge the foreign exchange exposure, the extra rupee liability towards interest payment and loan repayment corresponding to the normative foreign currency loan in the relevant Year shall be permissible provided it is not attributable to the the Transmission Licensee or its suppliers or contractors.

29.4. The Transmission Licensee shall recover the cost of hedging and Foreign Exchange Rate Variation on year-to-year basis as income or expense in the period in which it arises.

30. Tax on Income.-

Tax on Income streams of the Transmission Licensee shall not be recovered separately from the Transmission Customers:

31. Tariff income.-

Income from all charges determined by the Commission for transmission of electricity shall be considered as Tariff income. Tariff income shall include transmission charge, reactive energy charge and other charges as may be specified by the Commission.

32. Non-Tariff Income.-

32.1. A schedule for other income as provided in the schedule of Miscellaneous Charges and General Charges under MPERC (Details to be furnished by licensees for determination of Tariff and manner of making an application) Regulation 2004 as amended from time to time shall be classified under 'Non-Tariff Income'. The non-tariff income shall include income from investments, Fixed and other deposits and any other non-tariff income.

32.2. Revenue from other business shall be treated as income to the extent authorized by the Commission under Section 41 of the Act.

33. Late payment surcharge.-

In case the payment of bills of transmission and other charges are delayed beyond a period of 60 days from the date of presentation of bills, a Transmission Licensee may levy a late payment surcharge at the rate of 1.50% per month for each day of delay of payment.

34. Rebate.-

For payment of transmission charges through a letter of credit on presentation or through NEFT/RGTS within a period of 2 days of presentation of bill by Transmission Licensee, a rebate of 2% shall be allowed. If the payment is made by any other mode but within a period of one month of presentation of bills by the Transmission Licensee, a rebate of 1% shall be allowed.

35. Business Plan and Capital Investment.-

- 35.1. The Transmission Licensee shall file a detailed capital investment plan, financing plan and physical targets in accordance with guidelines issued by the Commission in this regard for meeting the requirement of load growth, reduction in transmission losses, improvement in quality of supply, reliability, metering etc.
- 35.2. The Capital Investment plan shall show separately, on going Projects that will spill into the Year under review and new Project (along with justification) that will commence but may be completed within or beyond the Tariff Period. The Transmission Licensee shall enter into Long-term agreements with Beneficiaries for whom the proposed capital works (schemes) will provide exclusive benefit for upstream and down stream interconnections. Such specific schemes shall be submitted to the Commission for its approval only after the agreements with the Beneficiaries have been executed. The facility shall be made available to such Long-term Beneficiaries and Distribution Licensees only after they enter into Long-term agreement for use of transmission capacity with the Transmission Licensee.
- 35.3. The Commission shall consider and approve the Licensee's capital investment plan for which the Licensee shall be required to provide relevant technical and commercial details. The Licensee shall get the Capital Investment Plan approved by the Commission before filing the Tariff application.
- 35.4. The proportion for debt and equity for the approved capital investment shall be as per Regulation 20.

CHAPTER III

Transmission Systems

36. Norms of operation.-

36.1 **Normative Annual Transmission System Availability factor (NATSAF):** for recovery of full transmission charges shall be as under:

AC system: 98.0%

36.2 **For incentive consideration.-**

AC system: 98.5%

Provided further that no incentive shall be payable for availability beyond 99.75%:

36.3 **Auxiliary Energy Consumption in the sub-station.-** **AC System:**

The auxiliary consumption in the sub-station for the purpose of air-conditioning, lighting, technical consumption, etc. shall be considered as part of transmission losses.

37. Operation & maintenance (O&M) expenses.-

37.1 The O&M expenses comprise of employee cost, repairs & maintenance (R&M) cost and administrative & general (A&G) cost. The norms for O&M expenses have been fixed on the basis of circuit kilometers of transmission lines and number of bays in substation. These norms exclude Pension, Terminal Benefits, incentive and arrears to be paid to employees, taxes payable to the Government and fee payable to MPERC. The Transmission Licensee shall claim the taxes payable to the Government, fees to be paid to MPERC and any arrears paid to employees separately as actuals. The claim of pension and terminal benefits shall be dealt-with as per Regulation 27.5. The norms for O&M expenses per 100 ckt-km and per bay shall be as under:

Norms for O&M expenses per 100 Ckt. km and per bay

| S. No. | Particulars | FY 2016- | FY 2017- | FY 2018- |
|--------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| | Lines | Rs. Lakh / 100ckt km / annum | | |
| 1. | 400 kV | 32.00 | 33.32 | 34.70 |
| 2. | 220 kV | 29.88 | 31.11 | 32.40 |
| 3. | 132 kV | 31.44 | 32.74 | 34.10 |
| | Bays | Rs. Lakh / Bay / annum | | |
| 1. | 400 kV Bay | 09.58 | 09.98 | 10.39 |
| 2. | 220 kV Bay | 11.12 | 11.58 | 12.06 |
| 3. | 132 kV Bay | 11.16 | 11.62 | 12.10 |

37.2 The total allowable O&M expenses for the Transmission Licensee shall be calculated by multiplying the average number of bays and 100 ckt-km of line length for the Year with the applicable norms for O&M expenses per bay and per 100 ckt-km respectively. In support of its claim for allowable O&M expenses, the Licensee shall submit before the Commission, the actual or projected circuit kilometers of line lengths and number of bays for each voltage level separately for each Year of the Tariff Period as the case may be.

37.3 The terminal benefits shall be paid as provided in Regulation 27.5.

38. Working capital.-

For each Year of the Tariff Period working capital shall cover the following:

- (1) Maintenance spares @ 15% of the O&M expenses specified in Regulation 37.1;
- (2) Receivables equivalent to two months of transmission charges calculated on Target Availability Level; and
- (3) Operation and Maintenance expenses for one month.

39. Annual Transmission Charges (TSC).-

- 39.1 The total annual expenses and expected return on equity of a Transmission Licensee shall be worked out on the basis of expenses and return allowed in terms of Regulations 17 to 30 read with Regulations 36 to 38.
- 39.2 The Transmission Licensee shall be entitled to recover its Annual Transmission Charges (TSC) from beneficiaries as specified in Regulation 40 & 41.

40. Recovery of Fixed Charges.-

- 40.1 The fixed cost of the Transmission System shall be computed on annual basis, in accordance with norms contained in these Regulations, aggregated as appropriate, and recovered on monthly basis as transmission charge from the users, who shall share these charges in the manner specified in these Regulations.
- 40.2 In case of the Transmission System, the transmission charge (inclusive of incentive) payable for a calendar month shall be

$$(AFC \times NDM / NDY) \times (TAFM / NATSAF) \text{ (in Rs.)}$$

Where

AFC = Annual Fixed cost specified for the Year, in Rupees

TAFM = Transmission System Availability Factor for a month in % computed in accordance with Appendix III

NATSAF = Normative Annual Transmission System Availability Factor in %, as specified in Regulation 36.1.

NDM = Number of days in a Month

NDY = Number of days in a Year

Provided that the Transmission Licensee shall raise the bill for transmission charge (inclusive of incentive) for a month based on its estimate of TAFM. Adjustments, if any shall be made on the basis of the TAFM to be certified by the SLDC within 30 days from the last day of the relevant month.

41. **Sharing and Payment of Transmission Charges (TSC) by Beneficiaries.-**

41.1 If a Transmission System has been created for a particular Long-Term Transmission beneficiary including dedicated transmission line(s) for a generating station, transmission charges for such Transmission System shall be payable by that Long-Term Transmission Beneficiary.

41.2 For Intra-State Transmission System, the monthly transmission charges shall be pooled for sharing by Long-Term Transmission Customers in accordance with the following formula:

Transmission Charges for intra-state system payable for a month by a Long-term Transmission Customer of that Transmission System

$$= (AFC \times NDM / NDY) \times CL / SCL$$

Where

AFC = Annual Fixed cost specified for the Year, in Rupees

NDM = Number of days in a Month

NDY = Number of days in a Year

CL = Allotted Transmission Capacity to the Long-Term Transmission Customer

SCL = Sum of the Allotted Transmission Capacities to all the Long-Term

Transmission Customers of the State Transmission System.

41.3. Medium-term users of the Intra-State Transmission System shall pay the charge in proportion to the MW for which Medium term usage has been approved by the State Transmission Utility for that month.

41.4. The short term Beneficiaries shall pay the charges according to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations 2005 as amended from time to time.

41.5. Transmission charges corresponding to any plant capacity for which a Beneficiary has not been identified and contracted shall be paid by the concerned Generating company.

41.6. Section 5.8.10 of the National Electricity Policy provides for efforts to reduce T&D losses. The Government of MP has prescribed loss trajectory for Distribution Companies. The Commission had specified Distribution loss level trajectory in Regulations for Distribution Tariff. Though the Government of MP has not specified trajectory for Transmission loss, the Commission hereby sets the following trajectory based on actual transmission loss of previous years, so that a reference value is available for benchmarking and for Tariff related issues:

Target Transmission Losses in Percentage

| FY | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|------------|---------|---------|---------|
| Percentage | 2.82% | 2.82% | 2.82% |

**CHAPTER IV
MISCELLANEOUS**

42. The proceeds of carbon credit from approved Clean Development Mechanism (CDM) project shall be shared in the following manner, namely:-

- (a) 100% of the gross proceeds on account of CDM to be retained by the project developer in the first Year after the Date of Commercial Operation of the Transmission System
- (b) in the second Year, the share of the Beneficiaries shall be 10% which shall be progressively increased by 10% every Year till it reaches 50%, whereafter the proceeds shall be shared in equal proportion, by the Transmission Licensee and the Beneficiaries.

43. **Deviation from norms.-**

The transmission charges by the Transmission Licensee may also be determined in deviation of the norms specified in these Regulations subject to the conditions that-

- (a) The levelised Tariff over the useful life of the Project , calculated based on the discounting factor as notified by the CERC from time to time for the Projects under Section 63 of the Act, on the basis of the norms in deviation does not exceed the levelised Tariff calculated on the basis of the norms specified in these Regulations; and
- (b) Any deviation shall come into effect only after approval by the Commission, for which an application shall be made by the Transmission Licensee before filing tariff petition / ARR for determination of Tariff.

44. Power to remove difficulties.-

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or direct the licensees to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

45. Power to Amend.-

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

46. Repeal and Savings.-

- 46.1 The Regulations namely "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Transmission Tariff) (Revision-II) Regulations, 2012 {RG-28 (II) of 2012}" published vide Notification No. 3359/MPERC/2012 dated 07.12.2012 in the Gazette dated 14.12.2012 and read with all amendments thereto, as applicable to the subject matter of these Regulations are hereby superceded.

- 46.2 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice to meet or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 46.3 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting, in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of this Regulation, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 46.4 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission

Shailendra Saxena, Commission Secretary

Timeline for completion of Projects
(Regulation 23)

Appendix – I

1. The completion time schedule shall be reckoned from the date of issue of tenders by the Transmission Licensee up to the Date of Commercial Operation of the units or block or element of transmission Project as applicable.
2. The time schedule has been indicated in months in the following paragraphs and tables:

| Transmission Work | Plain Area (months) | Hilly Terrain |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 400 KV D/C Quad Transmission | 38 | 44 |
| 400 KV D/C Triple Transmission | 36 | 42 |

| | | |
|------------------------------|----|----|
| 400 KV D/C Twin Transmission | 34 | 40 |
| 400 KV S/C Twin Transmission | 30 | 36 |
| 220 KV D/C Twin Transmission | 34 | 40 |
| 220 KV D/C Transmission line | 30 | 36 |
| 220 KV S/C Transmission line | 26 | 32 |
| New 220 KV AC Sub-Station | 24 | 27 |
| New 400 KV AC Sub-Station | 30 | 33 |
| 132 KV Transmission Line | 22 | 28 |
| New 132 KV AC Sub-Station | 18 | 22 |

Notes:

- (i) In case a scheme having combination of the above mentioned types of Projects, the qualifying time schedule of the activity having maximum time period shall be considered for the scheme as a whole.
- (ii) In case a transmission line falls in plain as well as hilly terrain/ very difficult terrain, the composite qualifying time schedule shall be calculated giving proportional weightage to the line length falling in each area.

Appendix - II**Depreciation Schedule**

| Sr. No. | Asset Particulars | Depreciation Rate (Salvage) |
|----------|---|-----------------------------|
| | | Straight Line Method |
| A | Land under full ownership | 0.00% |
| B | Land under lease | |
| a | for investment in the land | 3.34% |
| b | For cost of clearing the site | 3.34% |
| C | Assets purchased new | |
| a | Building & Civil Engineering works of | |
| (i) | Offices and showrooms | 3.34% |
| (ii) | Temporary erections such as wooden structures | 100.00% |
| (iii) | Roads other than Kutcha roads | 3.34% |
| (iv) | Others | 3.34% |
| b | Transformers, Kiosk, sub-station equipment & other fixed apparatus (including plant) | |
| (i) | Transformers including foundations having rating of 100 KVA and over | 5.28% |

| | | |
|--------|--|---------------|
| (ii) | Others | 5.28% |
| c | Switchgear including cable connections | 5.28% |
| d | Lightning arrestor | |
| (i) | Station type | 5.28% |
| (ii) | Pole type | 5.28% |
| e | Synchronous condenser | 5.28% |
| f | Batteries | 5.28% |
| (i) | Underground cable including joint boxes and disconnected boxes | 5.28% |
| (ii) | Cable duct system | 5.28% |
| (g) | Overhead Lines on fabricated steel operating at terminal voltages of upto and higher than 66 KV | 5.28% |
| (h) | Meters | 5.28% |
| (i) | Self propelled vehicles | 9.50% |
| (j) | Air Conditioning Plants | |
| (i) | Static | 5.28% |
| (ii) | Portable | 9.50% |
| k(i) | Office furniture and furnishing | 6.33% |
| k(ii) | Office equipment | 6.33% |
| k(iii) | Internal wiring including fittings and apparatus | 6.33% |
| k(iv) | Street Light fittings | 5.28% |
| (l) | Apparatus let on hire | |
| (i) | Other than motors | 9.50% |
| 47 | | |
| (ii) | Motors | 6.33% |
| (m) | Communication equipment | |
| (i) | Radio and high frequency carrier system | 6.33% |
| (ii) | Telephone lines and telephones | 6.33% |
| (n) | I. T equipments | 15.00% |
| (o) | Any other assets not covered above | 5.28% |

Appendix-III

Procedure for Calculation of Transmission System

Availability Factor for a Month

Transmission system availability factor for a calendar month (TAFM) shall be calculated by the respective Transmission Licensee, got verified and certified by the concerned Load Despatch Centre separately for each AC and HVDC transmission system and grouped according to sharing of transmission charges. Transmission System Availability shall be calculated separately for each Regional Transmission System and inter-regional transmission system. For the purpose of calculation of TAFM:

- i) AC transmission lines: Each circuit of AC transmission line shall be considered as one element.
 - ii) Inter-Connecting Transformers (ICTs): Each ICT bank (three single phase transformer together) shall form one element.
 - iii) Static VAR Compensator (SVC): SVC along with SVC transformer shall form one element. However, 50% credit to inductive and 50% to capacitive rating shall be given.
 - iv) Bus Reactors/Switchable line reactors: Each Bus Reactors/Switchable line reactors shall be considered as one element.
 - v) HVDC Bi-pole links: Each pole of HVDC link along with associated equipment at both ends shall be considered as one element.
 - vi) HVDC back-to-back station: Each block of HVDC back-to-back station shall be considered as one element. If associated AC line (necessary for transfer of interregional power through HVDC back-to-back station) is not available, the HVDC back-to-back station block shall also be considered as unavailable.
2. The Availability of AC and HVDC portion of Transmission system shall be calculated as under:

% TAFM for AC system

$$= \frac{o \times AV_o + p \times AV_p + q \times AV_q + r \times AV_r}{o + p + q + r} \times 100$$

% TAFM for HVDC system

$$= \frac{s \times AV_s + t \times AV_t}{S + t} \times 100$$

Where

o = Total number of AC lines.

AV_o = Availability of o number of AC lines.

p = Total number of bus reactors/switchable line reactors

AV_p = Availability of p number of bus reactors/switchable line reactors

q = Total number of ICTs.

AV_q = Availability of q number of ICTs.

r = Total number of SVCs.

AV_r = Availability of r number of SVCs.

s = Total number of HVDC poles

AV_s = Availability of s number of HVDC poles

t = Total number of HVDC back-to-back station blocks

AV_t = Availability of t number of HVDC back-to-back station blocks

3. The weightage factor for each category of transmission elements shall be as under:

(a) For each circuit of AC line - Surge Impedance Loading for Uncompensated line (SIL) multiplied by ckt-km.

SIL rating for various voltage level and conductor configuration is given in **Appendix-IV**. However, for the voltage levels and/or conductor configurations not listed in Annexure-I, appropriate SIL based on technical considerations may be used for availability calculation under intimation to long-term transmission customers/DICs.

For compensated AC line, Surge Impedance Loading (SIL) shall be a certified by the competent Authority considering the compensation on the line.

For shunt compensated line the reduced value of SIL shall be taken in accordance with the location of the reactor. Similarly in case of the lines with series compensation the higher SIL shall be taken as per the percentage of compensation.

- (b) For each HVDC pole- The rated MW capacity x ckt-km
 - (c) For each ICT bank – The rated MVA capacity
 - (d) For SVC- The rated MVAR capacity (inductive and capacitive)
 - (e) For Bus Reactor/switchable line reactors – The rated MVAR capacity.
 - (f) For HVDC back-to-back station connecting two Regional grids- Rated MW capacity of each block.
4. The availability for each category of transmission elements shall be calculated based on the weightage factor, total hours under consideration and non-available hours for each element of that category. The formulae for calculation of Availability of each category of the transmission elements are as per **Appendix-V**.
5. The transmission elements under outage due to following reasons shall be deemed to be available:
- (i) Shut down availed for maintenance of an element or construction including capacity enhancement of other transmission element/(s). If the other transmission element belongs to the Transmission Licensee, the SLDC may restrict the deemed availability period to that considered reasonable by him for the work involved.
 - (ii) Switching off of a transmission line to restrict over voltage and manual tripping of switched reactors as per the directions of SLDC.
6. Outage time of transmission elements for the following contingencies shall be excluded from the total time of the element under period of consideration.
- i) Outage of elements due to acts of God and force majeure events beyond the control of the Transmission Licensee. However, onus of satisfying the SLDC that element outage was due to aforesaid

events and not due to design failure shall rest with the Transmission Licensee. A reasonable restoration time for the element shall be considered by SLDC and any additional time taken by the Transmission Licensee for restoration of the element beyond the reasonable time shall be treated as outage time attributable to the Transmission Licensee. SLDC may consult the Transmission Licensee or any expert for estimation of reasonable restoration time. Circuits restored through ERS (Emergency Restoration System) shall be considered as available.

- ii) Outage caused by grid incident/disturbance not attributable to the Transmission Licensee, e.g. faults in substation or bays owned by other agency causing outage of the Transmission Licensee's elements, and tripping of lines, ICTs, etc. due to grid disturbance. However, if the element is not restored on receipt of direction from SLDC while normalizing the system following grid incident/disturbance within reasonable time, the element will be considered not available for the period of outage after issuance of SLDC's direction for restoration.

Appendix-IV

SURGE IMPEDANCE LOADING (SIL) OF AC LINES

| S. No. | Line voltage (kV) | Conductor Configuration | SIL (MW) |
|--------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 765 | Quad Bersimis | 2250 |
| 2 | 400 | Quad Bersimis | 691 |
| 3 | 400 | Twin Moose | 515 |
| 4 | 400 | Twin AAAC | 425 |
| 5 | 400 | Quad Zebra | 647 |
| 6 | 400 | Quad AAAC | 646 |

| | | | |
|----|-----|------------------|-----|
| 7 | 400 | Tripple Snowbird | 605 |
| 8 | 400 | ACKC (500/26) | 556 |
| 9 | 400 | Twin ACAR | 557 |
| 10 | 220 | Twin Zebra | 175 |
| 11 | 220 | Single Zebra | 132 |
| 12 | 132 | Single Panther | 50 |
| 13 | 66 | Single Dog | 10 |

Appendix-V

FORMULAE FOR CALCULATION OF AVAILABILITY OF EACH CATEGORY OF TRANSMISSION ELEMENTS

AV₀ (Availability of 0 no. of AC lines)

$$= \frac{\sum_{i=1}^c \frac{W_i(T_i - T_{NAi})}{T_i}}{\sum_{i=1}^o W_i}$$

AV_s (Availability of s no. of HVDC pole)

$$= \frac{\sum_{j=1}^s \frac{W_j(T_j - T_{NAj})}{T_j}}{\sum_{j=1}^s W_j}$$

AV_q (Availability of q no. of ICTs)

$$= \frac{\sum_{k=1}^q \frac{W_k(T_k - T_{NAk})}{T_k}}{\sum_{k=1}^q W_k}$$

AV_r(Availability of r no. of SVCs)

$$= \frac{\left[\sum_{i=1}^r 0.5 \frac{W_{ci}(T_{ci} - T_{NAci})}{T_{ci}} - \sum_{i=1}^r 0.5 \frac{W_{ci}(T_{ci} - A_{ci})}{T_{ci}} \right]}{\left[\sum_{i=1}^r 0.5 W_{ci} - \sum_{i=1}^r 0.5 W_{ci} \right]}$$

$$AV_p(\text{Availability of } p \text{ no. of Switched Bus reactor}) = \frac{\sum_{m=1}^p \frac{W_m(T_m - T_{NA}m)}{T_m}}{\sum_{m=1}^p W_m}$$

$$AV_t(\text{Availability of } t \text{ no. of HVDC Back to back Blocks}) = \frac{\sum_{n=1}^t \frac{W_n(T_n - T_{NA}n)}{T_n}}{\sum_{n=1}^t W_n}$$

| | | |
|--------------------|---|---|
| Where W_i | = | Weightage factor for i^{th} transmission line |
| W_j | = | Weightage factor for j^{th} HVDC pole |
| W_k | = | Weightage factor for k^{th} ICT |
| $W_{il} \& W_{cl}$ | = | Weightage factors for inductive & capacitive operation of l^{th} SVC |
| W_m | = | Weightage factor for m^{th} bus reactor |
| W_n | = | Weightage factor for n^{th} HVDC back to back block. |

$T_i, T_j, T_k, T_{il}, T_{cl}, T_m \& T_n$ - The total hours of i^{th} AC line, j^{th} HVDC pole, k^{th} ICT, l^{th} SVC (Inductive Operation), l^{th} SVC (Capacitive Operation), m^{th} Switched Bus Reactor & n^{th} HVDC back-to-back block during the period under consideration to- (excluding time period for outages not attributable to transmission licensee for reasons given in Para 6 of the procedure)

$T_{NAi}, T_{NAj}, T_{NAk}$ - The non-availability hours (excluding the time period for outages not attributable to transmission licensee taken as T_{NAn} deemed availability as per Para 5 of the procedure) for i^{th} AC line, j^{th} HVDC pole, k^{th} ICT, l^{th} SVC (Inductive Operation), l^{th} SVC (Capacitive Operation), m^{th} Switched Bus Reactor and n^{th} HVDC back-to-back block.